परीक्षा संबंधी उप-विधि

1995

(दिसंबर 2004 तक संशोधित)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली

ijh{kk laca/kh mi&fof/k] 1995

vuqokn

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
राजभाषा विभाग, ग ह मंत्रालय

पर्यावरण भवन
आठवां तल, बी ब्लॉक
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली

सी.बी.एस.ई., दिल्ली–110092

मार्च 1995, 5000 प्रतियाँ
जनवरी 2001 तक संशोधित
मार्च 2001, 2000 प्रतियाँ
दिसम्बर 2002 तक संशोधित
दिसम्बर 2002, 4000 प्रतियाँ
दिसम्बर 2004 तक संशोधित
अप्रैल 2005, 20,000 प्रतियाँ

मूल्य : रु

श्री विनीत जोशी, सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली–110092

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1] (सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

समाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2] (राष्ट्र की एकता और अखण्डता)
सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढाने के लिए

द ढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीक त अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व–संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र गााान का आदर करें;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजाए रखें और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अंखडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रात त्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद्भाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामाजिक संस्क ति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिक्षण करें;

(छ) प्राक तिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;

(ज) वैज्ञानिक द ष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजतिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू लें।

fo"k; lwph

v/;k; la[;k@ fu;e la[;k	fo"k;	i`"B la[;k
v/;k; 1		
1.	संक्षिप्त नाम	1
2.	परिभाषाएँ	1
3.	निर्वचन	2
4.	मुकद्दमा दायर करने का क्षेत्राधिकार	2
v/;k; 2		
5.	बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ	3
v/;k; 3		
6.	विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश – सामान्य शर्तें	4
7.	विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश – विशेष अपेक्षाएं	5
8.	प्रवेश प्रक्रिया	6
v/;k; 4		
9.	परीक्षाओं में प्रवेश – सामान्य	7
10.	परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ	7
11.	नियमित विद्यार्थी – परिभाषा	7
12.	परीक्षा में प्रवेश : नियमित विद्यार्थी	8
13.	अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के लिए उपस्थिति	8
14.	उपस्थिति में हुई कमी के लिए माफी के नियम	9
15.	पात्र परीक्षार्थियों को रोकना	10
16.	प्राईवेट (निजी) परीक्षार्थी–परिभाषा	10
17.	दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (बारहवीं कक्षा) परीक्षा में ''प्राईवेट परीक्षार्थी'' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	10
18.	अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (बारहवीं कक्षा) परीक्षा में प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	11
19.	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (बारहवीं कक्षा) में प्राईवेट परीक्षार्थियों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	11
20.	दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	12
21.	अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति	13

22.	माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राईवेट परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया	13
23.	त तीय भाषा में परीक्षा देने से छूट	14
24.	मस्तिष्क सस्तंभ से पीड़ित (स्पैस्टिक), द ष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए छूट	14
25.	लेखन लिपिक (Amanuensis) की सेवाओं का उपयोग और लेखन लिपिक की नियुक्ति	14
26.	विषय में परिवर्तन के लिए नियम	15
27.	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए प्राईवेट/शिक्षक अभ्यार्थियों द्वारा प्रवास प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने हेतु	15
v/;k; 5		
28.	नियमित विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि	16
29.	शुल्क का भुगतान	16
30.	शुल्क का रोकना	16
31.	शुल्क की वापसी	17
v/;k; 6		
32.	परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति आदि के लिए सामान्य शर्तें	18
33.	दिल्ली/नई दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के मानदंड	18
34.	केन्द्र अधीक्षक/उप–अधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति संबंधी मानदंड	20
35.	परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन के नियम	22
36.	अनुचित तरीके के मामलों संबंधी नियम	22
v/;k; 7		
37.	परीक्षा योजना और उत्तीर्णता मानदंड – सामान्य शर्तें	26
38.	श्रेणीकरण (ग्रेडिंग)	26
39.	उत्कृष्टता प्रमाणपत्र	27
40.	परीक्षा योजना (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाएँ)	27
41.	परीक्षा योजना (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ)	29
42.	माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा की पूरक परीक्षा	30
42-A.	माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रखना	30
43.	अतिरिक्त विषय	31
44.	निष्पादन संबंधी सुधार	31
45.	पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी	32
46.	संस्तंभी (स्पैस्टिक), नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग और डाइस्लेकसिक विद्यार्थियों को छूट	32

v/;k; 8

47.	गोपनीय कार्य : सामान्य	33
48.	प्राश्निक/परिनियामक (माडरेटर) की नियुक्ति संबंधी अर्हताएँ, प्राश्निकों तथा परिनियामकों के कर्त्तव्य, प्राश्निकों/परिनियामकों (माडरेटरों)/मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों/समन्यवकों का अयोग्य होना, प्राश्निकों/परिनियामकों/मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों आदि के लिए अनुदेश	33
49.	उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त करना	36
50.	मुख्य गोपनीयता अधिकारी/गोपनीयता अधिकारी	36
51.	मूल्यांकन	36
52.	अंकन योजना	37
53.	मुख्य परीक्षक	37
54.	अतिरिक्त मुख्य परीक्षक	37
55.	परीक्षक	38
56.	दल मूल्यांकन	38
57.	एवार्ड सूची	38
58.	यथास्थान मूल्यांकन "नोडल केन्द्र"	39
59.	परिणामों की घोषणा	39
60.	"बाद में परिणाम" देने संबंधी मामले	39
61.	किसी विषय में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन	40
62.	उत्तरपुस्तिकाओं का रखरखाव	40

v/;k; 9

63.	उत्तीर्णता प्रमाणपत्र/अंक विवरण	41
64.	अनंतिम प्रमाण–पत्र	41
65.	जन्म तिथि का प्रमाणपत्र	41
66.	अंतरण प्रमाणक	41
67.	उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की द्वितीय अनुलिपि	41
68.	माता के नाम का प्रावधान	41
69.	बोर्ड के प्रमाणपत्रों में परिवर्तन	42

v/;k; 10

70.	संयुक्त अक्षयनिधि छात्रव त्ति	44

v/;k; 11

71.	समकक्षता	46

layXud

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का आरुप (संलग्नक-I)	57
शुल्क का मानक्रम (संलग्नक-II)	59

1

संक्षिप्त नाम

1. संक्षिप्त नाम

(i) इन उपविधियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा संबंधी उप–विधि कहा जाएगा।

(ii) यह 31 जनवरी, 1995 से प्रभावी हैं।

2. परिभाषाएँ

इन उप–विधियों में जब तक संदर्भ से भिन्न न हो, यह अपेक्षित है :–

(i) "प्रवेश रजिस्टर अथवा प्रवेश एवं वापसी रजिस्टर" से अभिप्राय है विद्यालय द्वारा बनाए ऐसे रजिस्टर जिसमें संस्था की विभिन्न कक्षाओं में दाखिल विद्यार्थियों को निर्दिष्ट किया जाता है।

(ii) "बोर्ड" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है।

(iii) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(iv) "परीक्षा नियंत्रक" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है।

(v) "परीक्षा" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएं अभिप्रेत है।

(vi) "परीक्षा समिति" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समिति अभिप्रेत है।

(vii) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है।

(viii) "संस्था" से अभिप्राय एक ऐसी शैक्षिक संस्था से है जिसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा और/अथवा संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता–प्राप्त अथवा संबद्ध विद्यालय शामिल हैं।

(ix) "प्रवास प्रमाणपत्र" से अभिप्राय अभ्यर्थी के अनुरोध पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक ऐसे प्रमाणपत्र से है जो बोर्ड की माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने पर किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए मिलता है।

(x) "मुख्य विषय" से अभिप्राय एक ऐसे विषय से है जहाँ परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1000 और/या इससे अधिक हो।

(xi) "निकट संबंध" से अभिप्राय पत्नी/पति, पुत्र और पुत्रियाँ और उनके परिवार के सदस्यों, भतीजों, भतीजियों अथवा पत्नी/पति के ऐसे ही संबंधी से है।

(xii) "मान्यता–प्राप्त बोर्ड" से अभिप्राय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा और/अथवा भारत में संघ/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता–प्राप्त विश्वविद्यालय भी शामिल है।

(xiii) "क्षेत्रीय अधिकारी" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी अभिप्रेत है।

(xiv) "परिणाम समिति" से बोर्ड की परिणाम समिति अभिप्रेत है।

(xv) "नियमों" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित नियम अभिप्रेत है।

(xvi) "विद्यालय" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय अभिप्रेत है।

(xvii) "सचिव" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।

(xviii) "एस.एस.सी." से बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अभिप्रेत है।

(xix) "प्राश्निक" के रूप में प्रयुक्त "अध्यापक" शब्द से अभिप्राय प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक, वरिष्ठ/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य और स्नातकोत्तर अध्यापक से हैं।

(xx) "स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र" से अभिप्राय पिछली संस्था में विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करने पर किसी अन्य संस्था में अपना नाम स्थानान्तरित करवाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र से है।

(xxi) 'वार्ड' से अभिप्राय निकट संबंधी के बच्चे से है।

(xxii) एक वचन शब्दों में बहुवचन और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन शब्द भी शामिल है।

(xxiii) पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल है।

3. निर्वचन (व्याख्या)

(i) परीक्षा संबंधी उप–विधियों के किसी भी उपबंध के निर्वचन (व्याख्या) से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(ii) परीक्षा संबंधी उप–विधियों के किसी भी उपबंध के निर्वचन से संबंधित किसी भी प्रश्न पर अंग्रेजी रूपान्तर सही माना जाएगा।

4. मुकद्दमा दायर करने का क्षेत्राधिकार

(i) सचिव, वह विधि विषयक व्यक्ति होगा जिसके नाम से बोर्ड मुकदमा चला सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(ii) बोर्ड के विरूद्ध मुकदमा दायर करने का कानूनी क्षेत्राधिकार केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली होगा।

2

बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएँ

5.1 बोर्ड प्रतिवर्ष सामान्यतः प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि से शुरू होने वाली निम्नलिखित परीक्षाएँ संचालित करेगाः–

(i)	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII)अ	मार्च का प्रथम सप्ताह
(ii)	अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा X)अ	मार्च का प्रथम सप्ताह
(iii)	अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (पूरक) (कक्षा XII)अ	जुलाई का अन्तिम सप्ताह/अगस्त का प्रथम सप्ताह
(iv)	अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (पूरक) (कक्षा X)अ	जुलाई का अन्तिम सप्ताह/अगस्त का प्रथम सप्ताह
(v)	अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/ प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा	अप्रैल का आखिरी रविवार
(vi)	अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/ फार्मेसी/आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा	मई का दूसरा रविवार
(vii)	ऐसी अन्य परीक्षाएँ, जिन्हें बोर्ड समय–समय पर निर्धारित कर सकता है अथवा संचालित करने के लिए उसे कहा जाता है।	

5.2 उप–विधि 5.1 में निर्दिष्ट परीक्षाएं शुरू करने का समय केवल सुझावात्मक है। वास्तव में, ये परीक्षाएँ प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित केन्द्रों पर निश्चित तारीख और समय पर आयोजित की जाएँगी।

3

विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/अंतरण

6. प्रवेश की सामान्य शर्तें

6.1 विद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश पाने का तभी पात्र होगा, यदिः-

(i) वह इस बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा इससे संबद्ध किसी विद्यालय अथवा भारत में किसी अन्य मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययन कर रहा है;

(ii) उसने अर्हकारी (qualifying) परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अर्हकारी परीक्षा पास कर ली है जिससे वह उस कक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है;

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहाँ विद्यालय स्थित है, उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) पूरी करता है;

(iv) वह निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है;

(क) जिस संस्था में उसने आखिरी पढ़ाई की है, उसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित और यदि आवश्यक हो तो इन उपविधियों में अन्यत्र दी गई विधियों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र;

(ख) अर्हकारी अथवा समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में दस्तावेज़।

*(ग) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म व म त्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र।

स्पष्टीकरण

(क) जो व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा है, जो इस बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी अमान्य संस्था के प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर विद्यालय की किसी भी कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

(ख) इस उपविधि के प्रयोजन के लिए 'अर्हकारी परीक्षा' से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी किसी कक्षा विशेष में प्रवेश का पात्र बन जाता है तथा ''समकक्ष परीक्षा'' से तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय अथवा ऐसे बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त या संबद्ध संस्थान द्वारा ली गई परीक्षा से तथा इस बोर्ड से संबद्ध/मान्यताप्राप्त किसी ''विद्यालय'' द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा ली गई तत्संबंधी परीक्षा के समकक्ष हो, से है।

6.2 इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के अतिरिक्त विदेश के किसी विद्यालय से अंतरित कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के जिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया जाए। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए, उसका प्रघानाचार्य, मामले के संबंध में पूरा ब्यौरा अभ्युक्तियों/सिफारिशों सहित संगत प्रलेख बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी दिया जाएगा जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किया गया अध्ययन पाठ्यक्रम एवं उत्तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड की तत्संबंधी कक्षा के समकक्ष है।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 23.12.2004 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 30.12.2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

6.3 जिस विद्यार्थी को अस्थायी विनिष्कासन का दंड दिया गया हो अथवा जिसे किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक लिया गया हो, उसको इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6.4 जो विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए अर्हता–प्राप्त है उसको विद्यालय की किसी उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्नति तब तक नही दी जाएगी, जब तक वह उस कक्षा में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता जिसमें उसने शैक्षिक सत्र के शुरूआत में प्रवेश लिया था, और उसने संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त में परीक्षा उत्तीण न कर ली हो।

*6.5 बोर्ड से सम्बद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई./राज्य/संघ शासित अधिनियम में यथापरिभाषित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद ऐसे प्रवेश की अनुमति के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो। परीक्षा में पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप–विधि के अनुसार कक्षा IX, X, XI तथा XII में उपस्थित प्रतिशत (75%) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा देरी से घोषित परीक्षा–परिणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि विद्यार्थी ने परीक्षा–परिणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

7. प्रवेश : विशेष अपेक्षाएं

7.1 कक्षा VIII (अर्थात कक्षा VIII और इससे नीचे की कक्षा में) तक के प्रवेश को राज्य/संघ राज्य सरकार, जहां पर विद्यालय स्थित है, के नियमों, विनियमों, आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

7.2 किसी विद्यालय में कक्षा IX में केवल ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा जो इस बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से अथवा ऐसे राज्य/संघ राज्य सरकार, जिसमें ऐसी संस्था स्थित है, के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कक्षा VIII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

7.3 **विद्यालय में कक्षा X में प्रवेश :-

जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष का सम्पूर्णता कोर्स है, कक्षा X में कोई भी प्रवेश सीधे नहीं होगा। विद्यालय में कक्षा X में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जायेगा बशर्ते कि उसने :–

(क) कक्षा IX का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका हो एवं

(ख) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से भिन्न भारत में किसी मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्थान से IX कक्षा का अध्ययन नियमित पाठ्यक्रम के रुप में पूरा किया है और IX कक्षा उत्तीर्ण की है, को विद्यालय में प्रवेश उनके माता–पिता के स्थानान्तरण या उनके परिवार के स्थानान्तरण करने पर विद्यार्थी की अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेश देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा।

7.4 **विद्यालय में कक्षा XI में प्रवेशः-** किसी विद्यालय में कक्षा XI में प्रवेश केवल ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा, जिसने निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होः–

(क) इस बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) अथवा

(ख) किसी अन्य मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 15.1.2001 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 18.1.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम परीक्षा समिति की 13.5.2004 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.6.2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

*7.5 **विद्यालय में कक्षा XII में प्रवेशः-**

(i) कक्षा XII में कोई भी प्रवेश सीधे नहीं होगा। विद्यालय में कक्षा XII में विद्यार्थी को तभी प्रवेश दिया जायेगा बशर्ते कि उसने :–

(क) वह कक्षा XI का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका हो एवं

(ख) बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा XII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से भिन्न भारत में किसी मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्थान से XI कक्षा का अध्ययन नियमित पाठ्यक्रम के रुप में पूरा किया है और XI कक्षा उत्तीर्ण की है, को विद्यालय में प्रवेश उनके माता–पिता के स्थानान्तरण या उनके परिवार के स्थानान्तरण करने पर विद्यार्थी की अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है। ऐसे प्रवेशों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेश देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा।

7.6 इस उपविधि के पैरा 1 से 5 में किसी बात के होते हुए भी, भारत से बाहर परीक्षा संस्था से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश को इस अध्याय की उपविधि 6(2) में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा;
बशर्ते कि कक्षा IX और XI के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा करने की शर्त क्रमशः कक्षा X और XII में प्रवेश के मामले में पूरी होती हो।

8. प्रवेश-प्रक्रिया

(i) संबद्ध राज्य सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विहित रूप में प्रवेश रजिस्टर ''विद्यालय'' द्वारा रखा जाएगा, जिसमें ''विद्यालय'' में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।

(ii) आनुक्रमिक संख्याएं विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर आबंटित की जाएँगी और प्रत्येक विद्यार्थी यह संख्या विद्यालय में अपनी पूर्ण अवधि तक रखेगा। किसी भी अवधि तक अनुपस्थित रहने के बाद विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थी को उसकी मूल प्रवेश संख्या दी जाएगी।

(iii) किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कोई विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो प्रवेश–रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करने से पहले उसे अपने पिछले विद्यालय से संलग्नक 1 में दिए गए प्रारुप में प्रमाणित स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

(iv) स्थानांतरण प्रमाणपत्र के अनुसार विद्यार्थी जिस कक्षा का पात्र हो, उसे उससे उच्च कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए।

(v) बोर्ड की परीक्षा के लिए उसका नाम भेजे जाने के बाद सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित होने की अनुमति नहीं होगी। यह शर्त अध्यक्ष द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों में ही हटाई जा सकती है।

(vi) सत्र के समाप्त होने पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी अथवा ऐसे विद्यार्थी, जिन्हे सत्र के दौरान अपना विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई हो, विद्यालय की देय राशि का भुगतान करने के बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा। यदि संस्था इस बात से संतुष्ट है कि मूल प्रति खो गई है, तो दूसरी प्रति जारी की जा सकती है लेकिन उस प्रति पर हमेशा ऐसा अंकित किया जाएगा।

(vii) यदि कोई विद्यार्थी, बोर्ड से संबद्ध किसी संस्था का नहीं है लेकिन वह बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित एक ऐसा स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा कि संलग्नक–1 में दिए गए आरूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(viii) यदि किसी विद्यार्थी के माता–पिता या अभिभावक द्वारा या स्वयं विद्यार्थी द्वारा, यदि वह विद्यालय में प्रवेश के समय वयस्क था, दिए गए विवरण में विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन (कैरियर) से संबंधित ''तथ्यों को जानबूझकर गलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है'' तो संस्था प्रमुख यथास्थिति क्रमशः राज्य/संघ राज्य के शिक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति के नियमों के अनुसार उसे दंडित कर सकता है तथा इस संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाए।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 13.5.2004 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 18.6.2004 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया।

4

परीक्षाओं में प्रवेश

9. सामान्य

इन उप–विधियों में किसी बात के होते हुए भी, जिस परीक्षार्थी को किसी भी कारण से विद्यालय से निकाल दिया गया है या निष्कासन का दंड दिया गया है या किसी परीक्षा में भाग लेने या बैठने से रोका गया है, उसको बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी

अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ

10. परिक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यताएं

10.1 अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को :

(क) इस बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा X) अथवा उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में भाग लेगा/लेगी, के पहले कम से कम दो वर्ष किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए; और

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्ष X) में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड ई (E) से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।

10.2 अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को :

(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा X में बैठने से कम से कम दो वर्ष पूर्व किसी बोर्ड अथवा संबद्ध/मान्यताप्राप्त विद्यालय से मिडिल विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड ई से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए; तथा

(ग) अध्ययन योजना में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार त तीय भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

11. नियमित विद्यार्थी

परिभाषा

इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप–विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तब तक, एक ''नियमित विद्यार्थी'' का अर्थ किसी विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी से है, जिसने किसी विद्यालय में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और बोर्ड की अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता हो।

व्याख्या

जिस विद्यार्थी का नाम बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के लिए नाम/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय की नामावली से काट दिया गया है, वह नियमित विद्यार्थी नहीं रहेगा और ऐसा विद्यार्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

12. परीक्षा में प्रवेश : नियमित विद्यार्थी

अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में ऐसे नियमित विद्यार्थी बैठ सकेंगे जिन्होंने संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना आवेदनपत्र विधिवत् भर कर प्रस्तुत किया हो और/अथवा उसका नाम बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में निर्धारित शुल्क सहित (संलग्नक ।। देखें) संस्था/विद्यालय के प्रमुख द्वारा परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जाए जो उसी प्रमुख द्वारा निम्न रूप से विधिवत् प्रमाणित हो :

(i) वह इन उप–विधियों की उप–विधि 11 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता है;

(ii) उसने किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की समकक्ष अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;

(iii) उसका नाम विद्यालय की वर्तमान नामावली में दर्ज है;

(iv) उसने किसी विद्यालय में, इन उप–विधियों की उप–विधि 13 में यथापरिभाषित और निर्दिष्ट ''अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम'' उन विषयों में पूरा किया है, जिसमें वह परीक्षा में बैठेगा;

(v) उसका नैतिक चरित्र और आचरण अच्छा है; और

(vi) वह परीक्षा उपविधियों के सभी अन्य प्रावधानों और संबंधित परीक्षा में बैठने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य प्रावधान, यदि कोई हो, को पूरा करता है।

*12.1 (i) बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किसी भी विद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह बोर्ड की परीक्षा उपविधि का पूर्णतया पालन करें।

(ii) बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध कोई भी विद्यालय ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का प्रयास न करें जिनका नाम उसकी नामावली में न हो और न ही ऐसे परीक्षार्थियों को प्रस्तुत किया जाए जो उसकी असंबद्ध शाखा/विद्यालयों के विद्यार्थी हों।

(iii) यदि बोर्ड को किसी कारण विश्वास हो जाए कि संबद्ध/मान्यताप्राप्त विद्यालय इस उपविधि के भाग 1 और 2 का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बोर्ड द्वारा यथोचित दंड दिया जाएगा।

13. अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम

13.1** (i) इन उपविधियों में निर्दिष्ट ''अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम'' का अभिप्राय कक्षाओं में दिए गए व्याख्यानों में कम से कम 75% उपस्थिति से है। इसकी गणना कक्षा X/XII का अध्ययन शुरु होने की तारीख से लेकर उस माह, जिसमें बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की 1 तारीख तक की जाती है। प्रयोगिक विषयों सहित विषय(यों) लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रयोगशाला में विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए भी कुल उपस्थिति का कम से कम 75% उपस्थिति अपेक्षित होगी। इस नियम के निर्देशानुसार संस्थानों के प्रमुख ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति तब देंगे जब उसने प्रायोगिक विषय(यों) की उपस्थिति की अनिवार्यताएं पूरी कर ली हों।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 6.10.1998 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय द्वारा 9.10.1998 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम परीक्षा समिति की 9.1.1998 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 2.5.1998 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(ii) जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती वर्ष में उसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और कक्षा X/XII में पुनः दाखिला लेते हैं, उन्हे परीक्षाफल प्रकाशित होने के पश्चात् आगामी माह की एक तारीख से लेकर उस माह, जिसमें बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की एक तारीख तक कुल संभावित उपस्थिति में से 75% उपस्थिति होनी चाहिए।

(iii) अन्य संस्था से स्थानांनतरण होने के मामले में, ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था/विद्यालय में, जहां से परीक्षार्थी स्थानांतरित होता है, परीक्षार्थी की उपस्थिति को, उपस्थिति की अपेक्षित प्रतिशतता की गणना करते समय शामिल किया जाएगा।

13.2 आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की अपेक्षा

(i) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई विद्यार्थी परीक्षा देने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने 75% उपस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा X/XII के शुरू होने से लेकर उस माह, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाएगी।

(ii) परीक्षार्थी को कार्य अनुभव (डब्ल्यू ई)/कला शिक्षा/शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पी.एच.ई.) से छूट चिकित्साआधार पर दी जा सकती है बशर्ते कि आवेदनपत्र के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न हो और विद्यालय–प्रमुख द्वारा की गई सिफारिश सहित प्रेषित किया गया हो।

(iii) अध्यक्ष को आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार होगा।

14. उपस्थिति में हुई कमी के लिए माफी के नियम

*(i) अगर किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम हो जाती है तो विद्यालय प्रमुख उसका नाम अंतरिम रूप में बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। अगर परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा आरम्भ होने के तीन सप्ताहों के भीतर अपेक्षित प्रतिशत से फिर भी कम होती है तो विद्यालय प्रमुख मामले की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल देगा। अगर संस्था के प्रमुख की राय में परीक्षार्थी पर विशेष विचार किया जा सकता है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अध्यक्ष सी.बी.एस.ई. द्वारा अपनी माफी देने के लिए सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है यदि वह उचित समझे तो इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। उपस्थिति में कमी की माफी के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रमुख को अपने पत्र में किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र की अधिकतम संभव उपस्थिति कक्षा X/XII (सत्र का प्रारंम्भ) होने के दिन से उस महीने से पहले, जिसमें बोर्ड परीक्षा शुरू करता है, के महीने की पहली तारीख तक का ब्यौरा देना चाहिए। इस के साथ ही पूर्वोक्त अवधि के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिशतता का ब्यौरा भी देना चाहिए।

**(ii) अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में केवल 15% तक की कमी में छूट (माफी) दी जा सकती है। X अथवा XII कक्षा, जैसा भी मामला हो, में 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों पर, उपस्थिति में कमी की छूट (माफी) पर केवल अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा आधार पर विशेष परिस्थितियों जैसे की गंभीर लम्बी बीमारी से ग्रसित हो जैसे कैंसर, एड्स, टी.बी, अथवा इसी प्रकार की गंभीर लम्बी बीमारी जिसके लिए दीर्घ अवधि तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो पर विचार किया जा सकता है।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 9.1.1998 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 2.5.1998 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम परीक्षा समिति की 25.6.2003 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 27.6.2003 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(iii) प्रधानाचार्य उपस्थिति में कमी के मामले को बोर्ड के पास माफी की उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर या तो सिफारिश भेजेगा या मामले की सिफारिश न करने पर वैध कारण भेजेगा।

(iv) निर्धारित प्रतिशतता से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों के मामलों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है :

(क) लंबी बीमारी;

(ख) पिता/माता की म त्यु अथवा विद्यालय से उसकी अनुपस्थिति का कारण बनने वाली विशेष विचारणीय ऐसी कोई अन्य घटना; और

(ग) ऐसी ही गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण

(घ) कम से कम अंतर–विद्यालय स्तर के प्रायोजित टूर्नामेन्ट तथा खेलकूद प्रतियोगिता तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस शिविरों में प्राधिकृत भागीदारी और ऐसी भागीदारी के लिए यात्रा के दिनों को पूर्ण उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा।

*15. पात्र परीक्षार्थियों को रोकना

संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख, किसी भी कारण वश पात्र परीक्षार्थियो को परीक्षा मैं बैठने से नहीं रोकेंगे।

16. प्राईवेट (निजी) परीक्षार्थी

परिभाषा

इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप–विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा परिप्रेक्ष्य में कुछ असंगत न हों, ''प्राइवेट परीक्षार्थी'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नियमित विद्यार्थी नहीं है अपितु इन उपविधियों के उपबंधों के अधीन उसे अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।

17. दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र (बारहवीं कक्षा) परीक्षा में "प्राइवेट परीक्षार्थी'' के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा के निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्य–पूस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दुबारा बैठ सकने का पात्र होगा।

(ii) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी भी इन उपविधियों में निर्धारित शर्तों पर बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे :

(क) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत शिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। शिक्षक–विद्यार्थी जिस विद्यालय में सेवारत है उसके प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सहित अपना आवेदन पत्र बोर्ड के उस क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें वह शिक्षक काम करता है। प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित हो।

---

* यह नियम शासी निकाय की 9.5.2002 की बैठक में संशोधित किया गया।

(ख) जो महिला परीक्षार्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की वास्तविक निवासी है और उपविधि 17 (iii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व दिल्ली माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है, और

(ग) अध्ययन के प्रयोजन के लिए सामान्य संस्थानों में अध्ययन न कर सकने का उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने से कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक विद्यालय अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

(iii) महिला/विकलांग प्राइवेट विद्यार्थियों से निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करने की अपेक्षा होगी :–

(क) उन्होंने उचित मार्ग–निर्देशन के अधीन अध्ययन का निर्धारित पाठ्यक्रम प्राइवेट (निजी) रूप से पूरा किया है; और

(ख) वे बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे अन्य कारणों से वे परीक्षा में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में बैठने के लिए विवश हों।

18. अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा बारहवीं) में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्य–पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दुबारा बैठ सकने का पात्र होगा।

(ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत शिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। शिक्षक विद्यार्थी जिस विद्यालय में सेवारत है उस के प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सहित जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, अपना आवेदन–पत्र बोर्ड के उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें शिक्षक सेवारत है।

19. अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा बारहवीं) में प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(i) प्राइवेट परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए (संलग्नक–।। देखें) निर्धारित शुल्क सहित विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र में परीक्षार्थी द्वारा पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियों पर अपने विधिवत हस्ताक्षर करने होंगे और शिक्षक के मामले में फोटो की तीन प्रतियां उपविधि 17(ii)(क) अथवा उपविधि 18(ii) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगी और दूसरों के मामले में बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य अथवा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होंगी।

(ii) यदि किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे यथानिर्धारित विलम्ब शुल्क अदा करना होगा।

*(iii) जब परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तब उसके द्वारा अदा किया गया शुल्क, विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, में से रु. 10/- अथवा अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर यथानिर्णीत राशि घटाकर, उसे लौटा दी जाएगी परन्तु उन परीक्षार्थियों के मामले में, जिनका आवेदन परीक्षार्थी के गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन में गलत विवरण देने के कारण रद्द किया गया है शुल्क की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 29.10.1999 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.11.1999 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(iv) प्राइवेट परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में कोई ऐसा विषय (चाहे वह विषय परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त क्यों न हो) लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे संबद्ध विद्यालय मे नही पढ़ाया जाता है।

(v) प्राइवेट परीक्षार्थियों को, ऐसे परीक्षार्थियों के मामले छोडकर, जो पहले अनुत्तीर्ण हो गए थे और जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया था, ऐसा विषय लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें प्रायोगिक कार्य सम्मिलित हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी, महिला परीक्षार्थी प्रायोगिक कार्य के साथ ग हविज्ञान विषय ले सकतीं है।

(vi) वे नियमित परीक्षार्थी, जो बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की बारहवीं कक्षा में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उन्हे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(vii) प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंम्भ में विद्यालय के प्रमुख संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को ऐसे विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम और निवास स्थान का ब्यौरा देते हुए महिला और विकलांग विद्यार्थियों की सूची भेजेंगे जिन्हें ग्यारहवीं कक्षा में रोक लिया गया है।

20. दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थी उन उप–विधियों के यथानिर्धारित शर्तों पर संबंधित परीक्षा के निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे :

(क) जो बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे;

(ख) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में सेवारत शिक्षक;

(ग) (i) महिला विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की वास्तविक निवासी है और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करती है :–

(अ) उन्होंने उचित मार्गदर्शन में अध्ययन का निर्धारित पाठ्यक्रम प्राइवेट रूप में पूरा किया है; और

(ब) वे बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय जाने में असमर्थ है अथवा ऐसे अन्य कारणों से वे परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने के लिए विवश हैं।

(ii) महिला विद्यार्थी, जिसने कक्षा IX या इससे पहले संस्था छोड़ दी है वह जिस वर्ष परीक्षा में उपस्थित होती, यदि वह माध्यमिक परीक्षा तक मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन जारी ही रखती उससे पूर्व प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) शारीरिक रूप में वे विकलांग विद्यार्थी जो बिना प्रायोगिक प्रशिक्षण/परीक्षा वाले विषयों में सामान्य संस्थानों में उपस्थित रहने में कठिनाई का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करते हों।

21. अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति

(i) जो परीक्षार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा के लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में यथानिर्धारित पाठय्विवरण और पाठ्य–पुस्तकों के अंतर्गत दुबारा बैठने का पात्र होगा।

(ii) बोर्ड से संबद्ध संस्थाओं में सेवारत शिक्षक।

22. अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(i) शिक्षकों के आवेदनपत्र पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा निदेशक और अन्य के आवेदन पत्र बोर्ड के शासी निकाय अथवा बोर्ड से संबद्ध संस्था के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

(ii) प्राइवेट परीक्षार्थी को निर्धारित तारीख के भीतर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को परीक्षा के लिए (संलनक ।। देखें) निर्धारित शुल्क सहित अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऊपर (i) में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार की फोटो की तीन प्रतियों के साथ आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) अगर प्राइवेट अभ्यर्थी का आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे यथानिर्धारित विलंब शुल्क अदा करना होगा।

*(iv) जब परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन पत्र रद्द किया जाता है, तब उसके द्वारा अदा किया गया परीक्षा शुल्क तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, उसमें से रु० 10/- अथवा समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णीत राशि घटाकर उसे वापस कर दिया जाएगा परन्तु उन परीक्षार्थियों के मामले में, जिनका आवेदन विद्यार्थी के गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन में गलत विवरण देने के कारण रद्द किया गया है, शुल्क की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।

(v) जो नियमित परीक्षार्थी बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की दसवीं कक्षा में प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनको प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) प्रत्येक वर्ष, सत्र के प्रारंभ में विद्यालय के प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को ऐसे विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम और निवास स्थान विहित करते हुए उन महिला और विकलांग विद्यार्थियों की एक सूची भेजेंगे जिन्हें नवीं कक्षा में रोक लिया गया है।

(vii) उपविधि 20 के अधीन महिला प्राइवेट परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय लेने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक उसने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के लिए इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी वे ऐसे प्रमाणपत्र के बिना प्रायोगिक कार्य सहित ग ह विज्ञान विषय ले सकती हैं।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 29.10.1999 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.11.1999 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(viii) प्राइवेट विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के लिए ऐसा विषय (चाहे वह विषय परीक्षा के लिए मान्यताप्राप्त क्यों न हों) लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे संबद्ध संस्था में नहीं पढ़ाया जाता हो।

23. त तीय भाषा में परीक्षा देने से छूट

त तीय भाषा में परीक्षा देने से छूट की स्वीकृति निम्नलिखित वर्गों के विद्यार्थियों को दी जा सकती है :–

(क) बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विदेशी नागरिक;

(ख) विदेश में कम से कम 2 वर्षों तक रहने के बाद कक्षा IX में दाखिल भारतीय नागरिकों के बच्चे;

(ग) ऐसे राज्य बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों से कक्षा IX में दाखिल विद्यार्थी जहा केवल दो भाषा सूत्र प्रचलित हैं;

*(घ) डिस्लेक्सिक, द ष्टिहीन विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जो वाग्दोष और श्रवणदोष से पीड़ित हैं;

24. मस्तिष्क सस्तंभ से पीड़ित (स्पेस्टिक), द ष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए छूट

*(i) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने वाला नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक विद्यार्थी लेखन लिपिक की सेवाएँ ले सकता है और उसे प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए एक घंटे (60 मिनट) का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

(ii) बोर्ड के शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम के समकक्ष फिज़िओ–थिरापी अभ्यास पर बोर्ड विचार करेगा।

*(iii) डिस्लेक्सिक, स्पैस्टिक तथा द ष्टि एवं श्रवण दोष वाले परीक्षार्थियों के पास दो भाषाओं की ऐवज़ में एक अनिवार्य भाषा में अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिए जा सकते हैं :–

गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेंटिंग, ग ह विज्ञान और इंट्रोडक्टरी इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी।

25. लेखन लिपिक (amanuensis) की सेवाओं का उपयोग और लेखन लिपिक की नियुक्ति

(i) लेखन लिपिक निम्नलिखित मामलों में लिए जा सकते हैं :–

(क) किसी द ष्टिहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मस्तिष्क सस्तंभ (स्पेस्टिक) विद्यार्थी के लिए;

(ख) विद्यार्थी के अचानक बीमार होने के कारण लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे कम से कम सहायक सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

(ग) विद्यार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में परीक्षा में उसके लिखने में असमर्थ होने पर, जिसे कम से कम सहायक सर्जन स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

---

* ये नियम परीक्षा समिति की 15.5.2001 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय द्वारा 18.12.2001 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

(ii) लेखन लिपिक को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए जिसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है।

(iii) संबंधित परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक उपयुक्त लेखन लिपिक का चयन करेगा और बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल परीक्षार्थी और लेखन लिपिक का पूर्ण विवरण देते हुए उसके विचार और अनुमोदन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iv) जिस परीक्षार्थी के लिए लेखन लिपिक की अनुमति दी जाती है उस के लिए अधीक्षक एक उपयुक्त कमरे की व्यवस्था करेगा तथा उसकी परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष सहायक अधीक्षक नियुक्त करेगा।

(v) ऐसे परीक्षार्थी, लेखन लिपिक की सेवाओं के लिए यथा निर्धारित शुल्क अदा करेगा। तथापि, नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा स्पेस्टिक परीक्षार्थी को निःशुल्क रूप में लेखन लिपिक की सेवा प्रदान की जाएगी।

(vi) लेखन लिपिक को बोर्ड द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक अदा किया जाएगा।

26. विषय में परिवर्तन के लिए नियम

(i) ग्यारहवीं कक्षा में विषय में परिवर्तन की अनुमति विद्यालय के प्रमुख द्वारा उस शैक्षणिक सत्र के 31 अक्टूबर तक दी जा सकती है।

(ii) किसी भी परीक्षार्थी को नवीं अथवा ग्यारहवीं कक्षा, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन के विषय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) परीक्षार्थी दसवीं और बारहवीं कक्षा में वह विषय नहीं लेगा जिसका उसने क्रमशः नवीं और ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययन नहीं किया है और उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ है।

(iv) नियम 26(ii) और (iii) में किसी बात के होते हुए भी अभ्यर्थी को व्यर्थ कठिनाई से बचाने के लिए अध्यक्ष को विषय(यों) में परिवर्तन करने की अनुमति देने की शक्ति होगी, बशर्ते कि परिवर्तन के लिए ऐसा अनुरोध 30 सितम्बर के पूर्व किया गया हो।

27. अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ/माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए प्राइवेट/शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रवास प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने हेतु

जिन परीक्षार्थियों ने अन्य मान्यताप्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उससे परीक्षा फार्म के साथ संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्रवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। तथापि, अगर प्रवास प्रमाणपत्र परीक्षा प्रारंभ होने के पन्द्रह दिनों पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा में बैठने के लिए उसे बोर्ड द्वारा प्रवेशपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

5

आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की विधि, शुल्क के और वापसी के मापदंड

28. नियमित विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में अपना आवेदन भरकर विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रमुख से अग्रेषित करेगा।

(ii) सभी द ष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र (परीक्षार्थियों की संयुक्त सूची) और विद्यालय प्रमुख के लिए प्रमाण–पत्रों साहित; जहाँ कहीं अपेक्षित हो, अपने क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेगा।

(iii) आवेदनपत्र संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास निर्धारित तारीख के भीतर पहुँच जाना चाहिए।

(iv) आवेदनपत्र निर्धारित शुल्क के साथ होगा (देखें संलग्नक ।।)।

(v) निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ भी फार्म स्वीकृत किया जा सकता है।

29. शुल्क का भुगतान

(i) परीक्षार्थी समय–समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा (संलग्नक ।।)

(ii) संबद्ध विद्यालयों के परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क विद्यालय में परीक्षार्थियों द्वारा जमा किया जाएगा और विद्यालय के प्रमुख द्वारा बोर्ड को सामूहिक रूप से भेजा जाएगा।

(iii) दिल्ली से बाहर के विद्यालय और प्राइवेट विद्यार्थी राशि का भुगतान सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित : केवल आदाता के खाते में) द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर स्थित किसी अनुसूचित बैंक में किया जाएगा। स्थानीय विद्यालय (अर्थात् दिल्ली में स्थित विद्यालय) और प्राइवेट विद्यार्थी अपना शुल्क समय–समय पर यथानिर्धारित रीति से जमा करेंगे।

(iv) अन्य शुल्क बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नकद रूप में अदा किया जाएगा और उसके लिए मुद्रित रसीद प्राप्त की जाएगी। शुल्क, सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पक्ष में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित आदाता के खाते में) द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है। धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा प्रेषित शुल्क की राशि तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक विद्यार्थी, जिसके लिए शुल्क भेजा जा रहा है, के नाम, अनुक्रमांक और अन्य विवरण तथा उस परीक्षा का नाम जिसके लिए शुल्क प्रेषित किया जा रहा है, से संबंधित पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता। शुल्क केवल अभ्यर्थी के नाम में जमा अथवा भेजा जाना चाहिए, माता–पिता अथवा अभिभावक के नाम में नहीं।

30. शुल्क का रोकना

जो परीक्षार्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता अथवा समूची परीक्षा या आंशिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता, वह शुल्क रोकने या उसे वापस किए जाने का हकदार नहीं होगा परन्तु जब परीक्षार्थी अपनी बीमारी अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से समस्त परीक्षा देने से वंचित रहा था, तो उसके द्वारा इस आशय के लिए किए गए आवेदन से परीक्षा नियंत्रक स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तो अदा किए गए शुल्क को आगामी परीक्षा के लिए रोक कर रखा जा सकता है। बीमारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए उसके द्वारा यह दर्शाया जाए कि परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति उसकी बीमारी के कारण थी

और अन्य मामलों में उसकी अनुपस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण थी, का पूरा ब्यौरा देते हुए एक संतोषजनक दस्तावेज़ी साक्ष्य परीक्षा प्रारंभ होने के 15 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा जिसमें अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। इस उपविधि के अधीन आगामी परीक्षा के लिए एक बार रोक कर रखा गया शुल्क आगामी वर्ष के लिए समान परिस्थितियों के अधीन रोका जा सकता है परन्तु किसी भी मामले में यह दो लगातार वर्षों से अधिक नहीं होगा। उपर्युक्त उपविधि के अधीन एक बार रोक कर रखा गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

31. शुल्क की वापसी

(i) बोर्ड, आवेदन पत्र दिए जाने पर किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा शुल्क वापस कर सकता है, जिसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो अथवा जिसका प्रवेश उपस्थिति की अपेक्षित प्रतिशतता में कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, बशर्ते ऐसा आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा आरंभ होने की तारीख के तीन महीनों के भीतर प्राप्त होता है। उस अभ्यर्थी का शुल्क किसी भी मामलें में वापस नहीं किया जाएगा जिसका आवेदनपत्र अभ्यर्थी के आवेदन में गलत विवरण देते हुए गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के काराण रद्द किया गया हो।

(ii) परीक्षा शुरू होने से पहले, जिस विद्यार्थी की म त्यु हो जाती है, उसके द्वारा जमा किया गया पूरा शुल्क क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा बशर्ते परीक्षा शुरू होने की तारीख के बाद तीन महीनों के भीतर इसके लिए आवेदन किया गया हो। नियमित विद्यार्थी के मामले में शुल्क विद्यालय के प्रमुख के माध्यम से विद्यार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक को वापिस किया जाएगा। प्राइवेट विद्यार्थी के मामले में शुल्क की वापसी परीक्षा के आवेदनपत्र में उल्लिखित माता–पिता अथवा अभिभावक को की जाएगी।

(iii) निर्धारित शुल्क से अधिक अदा की गई राशि संबंधित विद्यालय/विद्यार्थी को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वापस की जाएगी बशर्ते शुल्क की वापसी का आवेदनपत्र भुगतान की तारीख से तीन महीने के भीतर बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो गया हो। ऐसे मामलों में, राशि वापस करते समय अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित प्रासंगिक प्रभार के रूप में कटौती की जाएगी परन्तु प्रत्येक मामले में कटौती रूपये 10/- से कम नहीं होगी।

6

परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, केन्द्र अधीक्षकों आदि की नियुक्ति और अनुचित तरीके अपनाने के मामले संबंधी नियम

32. सामान्य शर्तें

(i) बोर्ड की परीक्षाएँ अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार संचालित की जाएँगी। परीक्षा केन्द्रों की योजना (ड्राफ्ट स्कीम) परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार की जाएगी और अंतिम रूप से इसको अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अध्यक्ष को इसका संशोधन, आशोधन अथवा सुधार करने का अधिकार होगा।

(ii) बोर्ड की परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएँगी और परीक्षा संबंधी सभी पत्र (पेपर) भारतीय मानक समय (आई.एस.टी) के अनुसार सभी केन्द्रों में एक साथ संचालित होंगे।

(iii) संबद्धता उप–विधियों के खंड 13 (3) में यथा उपबंधित, बोर्ड की किसी परीक्षा को संचालित करने के लिए और स्थल मूल्यांकन के लिए संबद्ध विद्यालय भवन और फर्नीचर की निःशुल्क व्यवस्था करेगा और प्रबंधक वर्ग एवं प्रधानाचार्य परीक्षा के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बोर्ड को सहयोग देगा।

(iv) परीक्षाओं को संचालित करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अध्यापकों की व्यवस्था करना विद्यालय के लिए अनिवार्य होगा।

33. दिल्ली/नई दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के मानदंड

33.1 सामान्य शर्तें

(i) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, शहरों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :–

(क) एकल विद्यालय शहर

(ख) बहु विद्यालय शहर

(ग) विदेश

(ii) किसी भी विद्यालय में कमरों की पर्याप्त संख्या और उनमें हवा, पंखे, प्रकाश एवं फर्नीचर जैसी उपयुक्त सुविधाओं की सुलभता पर विचार करने के बाद परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) परीक्षा केन्द्रों की स्थापना बोर्ड की आवश्यकतानुसार प्रश्नपत्रों इत्यादि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक/खजाने की सुलभता के अनुसार की जाएगी।

(iv) एकल विद्यालय शहरों को छोड़कर, जहाँ तक हो सके, विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र अपने निजी विद्यालय के अतिरिक्त होगा।

33.2 एकल विद्यालय शहर

*(i) खंड 33-1 के अधीन दी गई शर्तों को पूरा करते हुए वही विद्यालय परीक्षा केन्द्र भी हो सकता है, बशर्ते

(क) वह माध्यमिक स्तर तक संबद्ध है तो इसमें कक्षा X के कम से कम 30 परीक्षार्थी हों ;

(ख) वह +2 स्तर तक संबद्ध है तो इसमें कक्षा X और XII दोनों को मिलाकर कम से कम 50 परीक्षार्थी हों ; तथा

(ग) विद्यालय को बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त किए हुए दो वर्ष पूरे हो चुके हों।

(ii) ऐसे विद्यालय के संबंध में, केन्द्र अधीक्षक एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी (स्टॉफ) की नियुक्ति उन कर्मचारियों के बीच से नहीं की जाएगी जो विद्यालय अथवा इसके न्यास के कर्मचारी हों। यथासंभव केन्द्र अधीक्षक उसी शहर का नहीं होगा।

33.3 बहु विद्यालय शहर

(i) जहाँ तक संभव हो सके बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने विद्यालय के परीक्षार्थियो के लिए उसी विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।

(ii) किसी शहर में परीक्षा के लिए दो या दो से अधिक विद्यालयों के परीक्षार्थियों के मामलों में, विद्यार्थियों को विभिन्न केन्द्रों में बारी–बारी रखा जाएगा ताकि विद्यालयों के बीच विद्यार्थियों की परस्परी अदला–बदली से यथासंभव बचा जा सके।

33.4 विदेश

(i) विदेश में स्थित विद्यालयों के संबंध में, यथासंभव भारत के परीक्षा केन्द्रों पर लागू होने वाले मानदंड लागू होंगे।

तथापि अध्यक्ष को विद्यार्थियों की संख्या, भौगोलिक स्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए विदेश में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का अधिकार होगा।

(ii) विदेश से परीक्षा देने वाले प्राइवेट/पत्राचार विद्यार्थियों के संबंध में, उस देश/शहर में कोई विद्यालय न होने के कारण परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण दूतावासों/चांसलर कार्यालयों में किया जाएगा, बशर्ते कि परीक्षार्थी ने बोर्ड के मानदंड के अनुसार दूतावास/चांसलर कार्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करने की सहमति प्रस्तुत की हो।

33.5 दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रों के निर्धारण के मानदंड

(i) सामान्यता, परीक्षा केन्द्र विद्यालय स्थल से 10 कि.मी के अंदर होना चाहिए।

(ii) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण केवल ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा जिनमें चार दीवारी हो, जहाँ अनाधिकृत प्रवेश संभव न हो और जहाँ पर्याप्त फर्नीचर हो।

(iii) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऐसे विद्यालय में किया जाएगा जिस विद्यालय का पक्का भवन हो और विद्यालय तंबुओ/शेडों आदि में नही चलाया जाता हो।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 20.8.2001 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.12.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

34. केन्द्र अधीक्षकों, उप-अधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति संबंधी मानदंड

34.1 केन्द्र अधीक्षक

(i) किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य/वरिष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.) की नियुक्ति परीक्षा केन्द्र के केन्द्र–अधीक्षक के रूप में की जाएगी बशर्ते उसके विद्यालय के विद्यार्थी उसी केन्द्र में परीक्षा न दे रहे हों।

(ii) जिनके बच्चे/निकट संबंधी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(iii) कोई केन्द्र अधीक्षक सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड के अनुमोदन के बिना परीक्षा केन्द्र नहीं छोड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में वह अपना कार्य उप–अधीक्षक, जहाँ उसकी नियुक्ति हुई हो, अथवा अगले वरिष्ठतम् व्यक्ति को सौंप देगा/देगी तथा बोर्ड को भी सूचना देगा/देगी।

(iv) जो केन्द्र अधीक्षक :

(क) बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना और उचित व्यवस्था किए बिना परीक्षा केन्द्र छोड़ देता है;

(ख) अपने पद का दुरूपयोग करता है; अथवा

(ग) जो सुचारु और निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं के आयोजन के लिए अहितकर अनुचित प्रक्रियाओं को अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है अथवा ऐसी प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है अथवा प्रेरित करता है;

ऐसा करने पर उसे अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसमें विभागीय एजेन्सियों के माध्यम से अनुशासनिक कार्रवाई अथवा बोर्ड द्वारा लोकहित में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।

34.2 उप-अधीक्षक

(i) उप–अधीक्षक की नियुक्ति कुल 250 या इससे अधिक परीक्षार्थियों वाले परीक्षा केन्द्र में की जाएगी जिसमें अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा/माध्यमकि विद्यालय परीक्षा दोनों शामिल हैं।

(ii) केन्द्र के केन्द्र–अधीक्षक द्वारा उप–अधीक्षक की नियुक्ति बोर्ड को सूचित करते हुए की जाएगी। यदि केन्द्र अधीक्षक अन्य विद्यालय से हो, तो उप–अधीक्षक की नियुक्ति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी प्रधानाचार्य से विचार–विमर्श करके केन्द्र–अधीक्षक द्वारा की जाएगी।

(iii) उप–अधीक्षक कम से कम उप–प्रधानाचार्य/वरिष्ठ स्नात्कोत्तर अध्यापक (पी.जी.टी.) के रैंक का होगा। अधीक्षक की राय में उप–अधीक्षक के विरूद्ध मिली किसी शिकायत के मामले में उसके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उप–अधीक्षक को उसके दायित्व से मुक्त करने और किसी उपयुक्त शिक्षक को कार्य सौंपने का अधिकार अधीक्षक को होगा। ऐसी कार्रवाई की सूचना उन परिस्थितियों के साथ जिनके कारण ऐसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा, बोर्ड को तत्काल लिखित रूप में और टेलीफोन/फैक्स पर भी दी जाएगी।

(iv) जिस विद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा में परीक्षा दे रहे हों, उसके किसी अधीकारी को उप–अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

34.3 सहायक अधीक्षक

(i) चूंकि केन्द्र अधीक्षक परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए वह अपने विद्यालय के अध्यापकों में से अपेक्षित संख्या में सहायक अधीक्षकों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है बशर्ते कि केन्द्र में बैठ रहे परीक्षार्थी उसके विद्यालय के न हों।

(ii) अगर केन्द्र में उसी विद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हों तो केन्द्र अधीक्षक निकट के विद्यालयों के उन शिक्षकों की सूची तैयार करेगा, जो सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे और यह सूची उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सलाह से बनेगी। उस केन्द्र अधीक्षक को बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को पूर्ण विवरण के साथ सहायक अधीक्षकों की एक सूची तत्काल प्रस्तुत करनी चाहिए।

(iii) यदि अध्यापकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो समकक्ष अर्हता (न्यूनतम स्नातक) रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सहायक अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर भी सहायक अधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न्यूनतम संख्या तक प्रतिबंधित होगी और ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्यौरे बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

(iv) केन्द्र–अधीक्षक यह देखेगा कि सहायक अधीक्षक ने उनके द्वारा दिए गए अनुदेश को विधिवत् नोट किया है और उसका अनुपालन किया है। इस आशय का एक शपथपत्र प्रत्येक सहायक अधीक्षक से प्राप्त किया जाए कि उनका कोई निकट संबंधी या उससे प्राइवेट तौर पर शिक्षा (ट्यूशन) प्राप्त कोई अन्य परीक्षार्थी, केन्द्र में परीक्षा नहीं दे रहा/रहे हैं।

(v) प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिए अथवा किसी परीक्षा हॉल के एक भाग अथवा बड़े कमरे में एक सहायक अधीक्षक की अथवा 40 या उससे कम परीक्षार्थियों के बैठने के प्रत्येक कमरे में दो सहायक अधीक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। यह ध्यान में रखा जाएगा कि एक ही कमरे अथवा परीक्षा हॉल के एक ही भाग में एक ही सहायक अधीक्षक को प्रतिदिन/प्रतिसत्र तैनात न किया जाए। इसलिए कमरों का आबंटन करते हुए सहायक अधीक्षक को प्रतिदिन/प्रतिसत्र में बदला जाए और संबंधित सहायक अधीक्षक को इस आशय की पूर्व सूचना नहीं होनी चाहिए। बोर्ड को सूचना भेजते समय विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए विभिन्न कमरों में तैनात सहायक अधीक्षकों के नाम सीटिंग प्लान में दिखाए जाने चाहिए।

(vi) जो सहायक अधीक्षक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से अनुचित साधनों के प्रयोग करने अथवा बढ़ावा देने या प्रेरित करने में संलग्न होता है, उस पर बोर्ड के नियमों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

34.4 केन्द्र अधीक्षकों आदि के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

केन्द्र–अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पालन करने के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

34.5 लिपिकीय सहायता

केन्द्र–अधीक्षक मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

34.6 पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों/उड़नदस्तों की नियुक्ति

पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों/उड़नदस्तों की नियुक्ति जहाँ आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, ताकि परीक्षा केन्द्र में परीक्षा निर्विघ्न एवं कुशलतापूर्वक संचालित हो सके।

34.7 अपवादी परिस्थितियों में, जहाँ इस अध्याय की उपविधियों में विचलन अनिवार्य हों वहाँ उन कारणों को रिकार्ड करते हुए अध्यक्ष को ऐसा करने का अधिकार होगा।

35. परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन

(i) इसके लिए यथा उपबंधित के सिवाय, परीक्षार्थी को उस परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो उसे आबंटित नहीं किया गया हो।

(ii) यदि विद्यार्थी ने दूसरे शहर के विद्यालय में प्रवेश ले लिया है तो अध्यक्ष एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केन्द्र बदलने की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि आवेदन लिखित में किया गया हो और उस संस्था के प्रमुख द्वारा जिसमें परीक्षार्थी ने प्रवेश लिया है, विधिवत् अग्रेषित किया गया हो।

(iii) यदि परीक्षार्थी के माता–पिता का स्थानान्तरण/प्रवास हो गया है तो एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केन्द्र बदलने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी को दी जा सकती है।

परीक्षा शुरू होने के एक महीने के भीतर परीक्षा केन्द्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) जो परीक्षार्थी बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना, आबंटित न किए गए परीक्षा केन्द्र में बैठ गया हो, वह परीक्षा की पात्रता से वंचित हो जाएगा और बोर्ड को संबंधित परीक्षा के लिए उसे ''पात्र नहीं'' घोषित करने का अधिकार होगा।

*(v) पूरक परीक्षा में प्रथम अवसर पर बैठने वाला परीक्षार्थी उसी क्षेत्र के केन्द्र से परीक्षा में बैठेगा, जहाँ से उसने मुख्य परीक्षा दी। परन्तु माता–पिता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के मामले में, अध्यक्ष से उसे केन्द्र परिवर्तन की अनुमति मिल सकती है, यदि वह निम्नलिखित बातों को पूरा करे :

(क) माता–पिता अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुए स्थानांतरण का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करें;

(ख) केन्द्र–परिवर्तन का आवेदन उसी वर्ष 15 जुलाई से पहले प्राप्त हो; और

(ग) केन्द्र परिवर्तन पर तभी विचार किया जाएगा जबकि आवेदित केन्द्र के स्थान पर उस विषय के प्रश्नपत्र उपलब्ध हों।

36. अनुचित तरीके के मामलों संबंधी नियम

36.1 सामान्य

(i) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए अपने आवेदन में गलत विवरण दिए हुए पाया जाता है अथवा ऐसा करके उसने बोर्ड की किसी परीक्षा में प्रवेश लेने का प्रयास किया है अथवा प्रवेश प्राप्त कर लिया है अथवा गलत विवरण देकर अथवा कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अथवा अन्य तरीके से बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया माना जाएगा और उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 25.8.1995 की बैठक में जोड़ा गया और शासी निकाय की 22.9.1995 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

यदि ऐसा परीक्षार्थी अभी तक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है तो उसका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और अदा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली हो तो उसका आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, अदा शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

(ii) यदि किसी भी स्तर पर परीक्षार्थी ने उसे बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा अंक विवरण या अंतरण प्रमाण–पत्र अथवा अन्य किसी दस्तावेज में की गई प्रविष्टि में हेर–फेर किया हो, तो उसे अनुचित तरीकों का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा। बोर्ड, अगर आवश्यक समझे, तो संबंधित दस्तावेज और यहाँ तक कि उसके परीक्षाफल को भी रद्द कर सकता है।

(iii) उत्तरपुस्तिका में किसी परीक्षार्थी को अपना नाम लिखने अथवा अपना हस्ताक्षर करने अथवा कोई संकेत या चिह्न, जो परीक्षक को उसकी पहचान प्रकट कर सकता है, की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा और उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह नियमों के अधीन सजा पाने का दोषी होगा।

(iv) अगर परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को निम्नलिखित किसी एक में संलिप्त पाया जाता है तो उसे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ माना जाएगा तथा उसका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा और उसे **"अनुचित साधन" (यू.एफ.एम.)** के रूप में चिह्नित किया जाएगा :–

(क) संबंधित प्रश्नपत्र में परीक्षा से संबंधित कोई कागजात, पुस्तक, नोट अथवा कोई अन्य सामग्री का पाया जाना;

(ख) किसी किस्म की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता देना अथवा प्राप्त करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना ;

(ग) केन्द्र–अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर–पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न अथवा उत्तर लिखना;

(घ) उत्तर–पुस्तिका अथवा पूरक उत्तर पुस्तिका आदि का कोई प ष्ठ फाड़ना;

(ड.) परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान परीक्षा स्टॉफ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना अथवा बातचीत करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना ;

(च) परीक्षा हॉल/कक्ष के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाना;

(छ) परीक्षा से संबंधित किसी अवांछनीय ढ़ंग अथवा साधनों का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करने का प्रयास करना;

(ज) प्रश्न–पत्रों या उसके किसी भाग की तस्करी, या उत्तर पुस्तिका/पूरक उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग की तस्करी।

(झ) परीक्षा संचालित करने से संबंधित किसी अधिकारी अथवा किसी परीक्षार्थी को धमकी देना।

(v) ऊपर (iv) में उल्लिखित अनुचित साधनों में से किसी एक का भी दोषी पाए गए परीक्षार्थी को :–

(क) बोर्ड द्वारा उस वर्ष में परीक्षा के अयोग्य घोषित किया जा सकता है (अर्थात् उस वर्ष के लिए उसकी परीक्षा रद्द की जा सकती है);

(ख) किसी निश्चित अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, बोर्ड की किसी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है; और

(ग) गंभीर मामलों में, बोर्ड की कोई परीक्षा देने से स्थायी रूप से वंचित किया जा सकता है।

36.2 अनुचित साधनों के मामलों की पहचान और उनकी रिपोर्ट देना

(i) ज्यों ही परीक्षा के दौरान केन्द्र–अधीक्षक के ध्यान में यह बात आती है अथवा लाई जाती है कि कोई परीक्षार्थी नियम 36.1(iv) में उल्लिखित किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अथवा प्रयोग करने का प्रयास करते हुए पाया गया है त्योंही वह, उसके पाए गए किसी कागजात अथवा अन्य सामग्री, अगर कोई हो, के साथ परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका अपने कब्जे में ले लेगा और परीक्षार्थी को तत्काल एक दूसरी उत्तर पुस्तिका देगा। परीक्षार्थी को उस विषय की परीक्षा, में परीक्षा केन्द्र से निष्कासित नहीं किया जाएगा। केन्द्र अधीक्षक प्रथम उत्तर पुस्तिका पर वह समय अंकित करे, जब उसने उसे परीक्षार्थी से लिया था और दूसरी उत्तर पुस्तिका पर वह समय अंकित करे, जब उसे पुनः पुस्तिका जारी की गयी थी। दूसरी उत्तर पुस्तिका जारी करते समय केन्द्र अधीक्षक परीक्षार्थी से उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण (बयान) प्रस्तुत करने के लिए कहे। अगर परीक्षार्थी स्पष्टीकरण (बयान) देने से इंकार करता है तो इंकार करने का तथ्य दो सहायक अधीक्षकों द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद केन्द्र अधीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। केन्द्र अधीक्षक संबंधित सहायक अधीक्षक (कों) का बयान मांगेगा। वह परीक्षार्थी के स्पष्टीकरण अथवा अस्वीकार करने का अभिप्रामाणित बयान, सहायक अधीक्षक(कों) का बयान और मामले पर अपनी टिप्पणी के साथ परीक्षार्थी द्वारा प्रयुक्त दो उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक प थक मुहरबंद लिफाफे में बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेगा।

(ii) ज्यों की केन्द्र अधीक्षक के ध्यान में यह बात आती है या लाई जाती है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका छिपाकर ले गया है त्यों ही परीक्षार्थी को सीधे अथवा संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से बुलाएगा और उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उत्तर पुस्तिका न मिलने के मामले में, उसे मामले की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि कमरे में उपस्थित सहायक अधीक्षक और परीक्षार्थी के भी बयान के साथ बोर्ड के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। स्थिति से संबंधित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल आदि का बयान, अगर कोई हो, भी भेजा जाना चाहिए। बयान में घटना के समय और मामले का यह ब्यौरा होना चाहिए कि परीक्षार्थी किस प्रकार वह उत्तर पुस्तिका अपने साथ ले गया था। उत्तर–पुस्तिका प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने के मामले में, ऐसा करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति, सहायक अधीक्षक और वास्तविक परीक्षार्थी, अगर संभव हो, का ब्यान केन्द्र अधीक्षक द्वारा बोर्ड के कार्यालय को भेजना चाहिए। केन्द्र अधीक्षक मामले की सूचना पुलिस को भी देगा।

(iv) गंभीर प्रकृति के कदाचार के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो मामले की सूचना पुलिस को भी दी जानी चाहिए। सहायक अधीक्षक(कों) और चपरासी/संबंधित पुलिस कर्मी से बयान लिया जा सकता है और अगली कार्रवाई के लिए यह बोर्ड के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

(v) यदि किसी परीक्षार्थी को किसी परीक्षक अथवा परीक्षा से संबंधित किसी व्यक्ति को किसी प्रकार प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बातचीत करने का अथवा बातचीत करने के प्रयास का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग किया गया समझा जाएगा और वह नियमों के अधीन सजा का उत्तरदायी होगा।

(vi) अगर परीक्षा के बाद, यह पाया जाता है कि विद्यार्थी ने या जो किसी परीक्षार्थी अथवा किसी अन्य स्त्रोत से उत्तर की नकल की है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ माना जाएगा और वह नियमों के अधीन सजा का उत्तरदायी होगा।

(vii) उत्तर पुस्तिका में अपमानजनक भाषा का प्रयोग अथवा अनादरपूर्ण टिप्पणी करना अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा।

(viii) अगर कोई परीक्षक दो अथवा अधिक परीक्षार्थियों के बीच अथवा किसी अन्य स्त्रोत से उत्तर(रों) की नकल करने का मामला देखता है तो उसे उत्तर(रों) के संगत हिस्से को चिन्हभित करना चाहिए और उस पर अपनी रिपोर्ट के साथ मामला तत्काल मुख्य परीक्षक को भेजना चाहिए। मुख्य परीक्षक मामले की समीक्षा करेगा और उसे अपनी अभ्युक्ति के साथ एक मोहरबंद लिफाफे में बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाई के लिए बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा। अगर ऐसा मामला स्वयं मुख्य परीक्षक की जानकारी में आता है तो उसे भी उत्तर(रों) के संगत भाग को चिह्नित करना चाहिए और उसे अपनी अभ्युक्ति के साथ तत्काल एक मोहरबंद लिफाफे में अगली कार्रवाई के लिए बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक को भेजना चाहिए।

36.3 दंड देना

(i) उन सभी विद्यार्थियों का परीक्षाफल 'अनुचित साधनों' (यू.एफ.एम.) के रूप में घोषित किया जाएगा, जिनके किसी परीक्षा में किसी सहायक अधीक्षक, उप–अधीक्षक, केन्द्र–अधीक्षक, छापामार पार्टी के सदस्यों, आकस्मिक निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों अथवा परीक्षक/मुख्य परीक्षक द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने की सूचना दी जाती है।

(ii) अनुचित तरीके (यू.एफ.एम.) के सभी मामलों का निर्णय परीक्षाफल घोषित किए जाने के बाद उचित समय में किया जाएगा।

(iii) अनुचित तरीके के सभी मामले परीक्षाफल समिति को सूचित किए जाएंगे और ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षाफल बोर्ड की परीक्षाफल समिति द्वारा की गई सिफारिश और उसके द्वारा बताए गये तरीके से निपटाया जाएगा।

(iv) अनुचित तरीके का प्रयोग किए जाने वाले परीक्षार्थी को कोई दंड देने से पूर्व उसे इस उपविधि के किसी भी उपबंध के अधीन अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। उसे परीक्षाफल समिति के विचारार्थ अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए परीक्षाफल समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होना होगा। अगर वह दी गई तारीख तक अवसर का लाभ नहीं उठाता तो परीक्षाफल समिति द्वारा लिया गया एक पक्षीय निर्णय अंतिम होगा।

(v) अगर बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि किसी विषय अथवा विषयों में अनुचित साधनों का प्रयोग किसी केन्द्र में व्यापक स्तर पर हुआ है तो बोर्ड को संबंधित विषय अथवा विषयों में अथवा यहाँ तक कि उस केन्द्र पर आयोजित संपूर्ण परीक्षा, अगर कई विषय शामिल हों, से संबंधित उस केन्द्र के सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रद्द करने का अधिकार है।

(vi) उन परीक्षार्थियों के नाम, जो उर्पयुक्त किसी भी नियम के अधीन सजा पाते हैं, उन विश्वविद्यालयों, बोर्डों और अन्य संगठनों को, जो माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा संचालित करते हैं, और विभिन्न राज्य सरकारों तथा साथ ही देश में विभिन्न लोक सेवा आयोगों को सूचित किए जाएंगे।

7

परीक्षा योजना और उत्तीर्णता मानदंड

37. सामान्य शर्तें

(i) बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र और अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की योजना और उत्तीर्णता मानदंड समय–समय पर यथानिर्धारित किए जाएँगे।

(ii) कक्षा XI/IX परीक्षाएँ स्वयं विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से संचालित की जाएँगी।

(iii) बोर्ड बाहरी परीक्षाएँ कक्षा XII / X के अंत में संचालित करेगा।

(iv) कक्षा XII / X की परीक्षाएँ क्रमशः समय–समय पर कक्षा XII / X के लिए बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित पाठ्य विवरणों पर आधारित होंगी।

(v) प्रश्नपत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि और प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के अंक वर्ष की पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित किए जाएँगे।

(vi) परीक्षा, विषय(यों) के स्वरूप के अनुसार सैद्धान्तिक और प्रायोगिक रूप में होगी और अंक/श्रेणियों (ग्रेड) का आबंटन पाठ्यचर्या के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक विषय के लिए अंक/श्रेणियाँ प्रदान की जाएँगी और कुल अंक नहीं दिए जाएँगे।

38. श्रेणीकरण (ग्रेडिंग)

(i) बाह्य विषयों में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा। बाह्य परीक्षाओं के विषयों में संख्यात्मक अंक के अलावा बोर्ड, परीक्षार्थियों को जारी अंक विवरणिकाओं में श्रेणियां भी निर्दिष्ट करेगा। आंतरिक मूल्यांकन विषयों के मामले मे केवल श्रेणियाँ दर्शाई जाएँगी।

*(ii) बोर्ड की बाह्य परीक्षा के विषयों में नौ बिन्दु पैमाने पर अक्षर श्रेणी (ग्रेड) का प्रयोग किया जाएगा। तथापि कक्षा X की आंतरिक परीक्षा के विषयों का मूल्यांकन पांच बिन्दु पैमाने अर्थात ए, बी, सी, डी, ई पर किया जाएगा ।

(iii) बाह्य परीक्षा के विषयों के मामले में श्रेणियाँ अंकों से प्राप्त की जाएँगी। आंतरिक मूल्यांकन के विषयों के मामले में उन्हें श्रेणियाँ विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाएँगी।

(iv) माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के उन विषयों में जिनमें प्रेक्टिकल भी शामिल होता है, में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक और प्रेक्टिकल दोनों में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिए।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 18.2.2000 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की दिनांक 18.1.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(v) श्रेणियाँ देने के लिए बोर्ड सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक क्रम में रखेगा और श्रेणियाँ इस प्रकार दी जाएँगी :–

ए -1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8वां भाग

ए -2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

बी -1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

बी -2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

सी -1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

सी -2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

डी -1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

डी -2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8वां भाग

ई अनुत्तीर्ण विद्यार्थी

टिप्पणी :

(क) बराबरी में समायोजन लाने के लिए विद्यार्थियों के अनुपात में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा।

(ख) बराबरी की स्थिति में, समान अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी (ग्रेड) दी जाएगी। यदि एक अंक बिन्दु पर विद्यार्थियों की संख्या को दों खंडों में विभाजित किया जाना जरूरी हो तो छोटे खंड को बड़े के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) जिस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है उन विषयों में श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।

(घ) उन विषयों के संबंध में, जहां किसी विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम है, वहाँ श्रेणीकरण के अन्य विषयों में अपनाई जा रही श्रेणीकरण पद्धति के आधार पर अंकों का श्रेणीकरण और वितरण किया जाएगा।

39. उत्कृष्टता प्रमाणपत्र

(i) बोर्ड प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में से सर्वोच्च 0.1% प्रतिशत को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा बशर्ते कि उन्होंने बोर्ड के उत्तीर्णता–मानदंड के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) किसी विषय में उत्कृष्टता प्रमाणपत्रों की संख्या का निर्धारण हजार की निकटतम बहुल संख्या तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के पूर्णांक द्वारा किया जाएगा। यदि एक विषय में उत्तीर्णऽहोने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 500 से कम है तो कोई उत्कृष्टता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(iii) बराबर होने की स्थिति में, यदि एक परीक्षार्थी उत्कृष्टता–प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है तो वही अंक पाने वाले सभी परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

40. परीक्षा योजना (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाएँ)

(i) बोर्ड सामान्य अध्ययन, कार्यानुभव, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़कर सभी विषयों में परीक्षा संचालित करेगा। इन विषयों में विद्यालयों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) बोर्ड द्वारा सभी विषयों में ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 घंटे के लिए 100 अंकों वाला एक प्रश्नपत्र दिया जाएगा। ऐसे विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी समाहित है उनमें सैद्धान्तिक पेपर और प्रायोगिक परीक्षा पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।

(iii) विद्यालय द्वारा कार्यानुभव, सामान्य अध्ययन और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की आवधिक उपलब्धियों एवं प्रगति का संचयी रिकार्ड रखा जाएगा। बोर्ड जब भी उचित समझे, इन रिकार्डों की संवीक्षा कर सकता है।

(iv) कुछ शारीरिक दोष या अन्य ऐसे कारक से कार्यअनुभव और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में भाग नहीं ले सकने वाले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी को अध्ययन द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उसने सहायक सर्जन रैंक के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त करके उसकी संस्तुति विद्यालय के प्रमुख द्वारा की गई हो।

(v) प्राइवेट/पत्राचार विद्यालय और प्रौढ़ विद्यालयों द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को कार्यानुभव, सामान्य अध्ययन और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में छूट मिलेगी।

(vi) उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में ऐसा विषय ले सकता है, जो या तो ऐच्छिक स्तर पर कोई भाषा हो अथवा अध्ययन योजना में यथानिर्धारित अन्य ऐच्छिक विषय हो।

40.1 उत्तीर्णता मानदंड (वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा)

(i) जब तक छूट न दी गई हो तब तक विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी प्राप्त करने पर बोर्ड का उत्तीर्णता प्रमाणपत्र पाने का अधिकारी होगा। ऐसा न होने पर, बाह्य परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा पूरक परीक्षाओं के बाह्य परीक्षा के सभी पांच विषयों में 'ई' (अर्थात कम से कम 33% अंक) से उच्च श्रेणी प्राप्त करनी होगी बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य वाले विषय के मामले में विद्यार्थी को अलग से 33% अंक सिद्धांत में और 33% अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, उस विषय में अर्हताप्राप्त करने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करने होंगे

(iii) कोई संपूर्ण श्रेणी/विशेष योग्यता/कुल योग नहीं दिया जाएगा।

(iv) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :–

(क) विद्यार्थी जिसने अतिरिक्त विषय के रूप में भाषा ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा को उस (अनुत्तीर्ण) भाषा में बदला जा सकता है बशर्ते बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रजी/हिन्दी में से एक भाषा हो।

(ख) विद्यार्थी द्वारा लिए गए अतिरिक्त विषय को वैकल्पिक विषयों से बदला जा सकता है। एक भाषा भी बदली जा सकती है परन्तु बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी या हिन्दी में से एक भाषा हो।

(ग) वैकल्पिक स्तर पर ली गई अतिरिक्त भाषा वैकल्प्कि विषय के स्थान पर ली जा सकती है परन्तु बदलने के बाद ली गई भाषाओं की संख्या दो से अधिक नहीं होंगी।

(v) आंतरिक परीक्षा के एक या एक से अधिक विषयों से छूट प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे और उनके परिणाम घोषित किए जाएँगे बशर्ते कि वे उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

40.2 वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में पूरक परीक्षा के लिए योग्यता

बाह्य परीक्षा के पाँच विषयों में से एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस विषय की पूरक परीक्षा में बैठेगा/बैठेगी बशर्ते वह आन्तरिक निर्धारण के सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।

41 परीक्षा योजना (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ)

*(i) निम्नलिखित विषयों का मूल्यांकन स्वंय विद्यालयों द्वारा पांच बिन्दु पैमाने पर (अर्थात् ए, बी, सी, डी तथा ई) श्रेणियों (ग्रेडों) के अनुसार किया जाएगा।

– कार्यानुभव

– कला शिक्षा

– शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(ii) आंतरिक मूल्यांकन के विषयों का मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत् निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकार्ड पर अधारित होगा।

(iii) विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थी की उपलब्धियों एवं प्रगति का नियमित अभिलेख रखें। जब बोर्ड उचित समझे, इन अभिलेखों की संवीक्षा कर सकता है।

(iv) उपखंड (i) के अधीन उल्लेख न किए गए अध्ययन के शेष विषयों की बोर्ड द्वारा बाह्य रूप में परीक्षा ली जाएगी। प्रश्नपत्रों, अंकों एवं अवधि के ब्यौरे परीक्षा की योजना के अनुसार होंगे।

**(v) सभी संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दस वर्ष तक अध्ययन पूरा करने वाले विद्यार्थियों को "विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रमाणपत्र" जारी करें जिसमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित अधिगम के सह–संज्ञानात्मक तथा अन्य संबद्ध विषयक्षेत्रों को शामिल किया गया हो।

41.1 उत्तीर्णता मानदंड (माध्यमिक विद्यालय परीक्षाएँ)

(i) जब तक इस संबंध में छूट नहीं दी जाती तब तक विद्यार्थी द्वारा आतंरिक निर्धारण के सभी विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी प्राप्त करने पर उसे बोर्ड का उत्तीर्णता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ऐसा न होने पर बाह्य परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा पूरक परीक्षाओं की बाह्य परीक्षा के सभी पांच विषयों में 'ई' (अर्थात कम से कम 33% अंक) से उच्च श्रेणी प्राप्त करनी होगी। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे।

(iii) कोई सम्पूर्ण श्रेणी/विशेष योग्यता/कुल योग नहीं दिया जाएगा।

(iv) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :–

(क) यदि विद्यार्थी जिसने भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा उस (अनुर्त्तीण) भाषा को बदल सकती है बशर्ते बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी/हिन्दी में से एक भाषा हो; और

(ख) एक विषय से दूसरे में परिवर्तन के लिए अध्ययन की योजना में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 18.2.2000 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय ने अपनी 18.1.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम परीक्षा समिति की 18.2.2000 की बैठक में जोड़ा और शासी निकाय ने अपनी 18.1.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(v) आंतरिक परीक्षा के एक या एक से अधिक विषयों में छूट प्राप्त वाले विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे और उनके परिणाम घोषित किये जायेंगे बशर्ते वे उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

***41.2 माध्यमिक परीक्षा में पूरक परीक्षा के लिए पात्रता**

यदि कोई परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में पांच विषयों में से दो विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उन विषयों की पूरक (कम्पार्टमेन्ट) परीक्षा देनी होगी बशर्ते कि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो।

42. माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा की पूरक परीक्षा

**(i) यदि किसी परीक्षार्थी का परिणाम पूरक है तो वह जुलाई/अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में बैठ सकता है और उसे अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में इसका दूसरा अवसर और उस वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित पूरक परीक्षा में तीसरा अवसर भी प्राप्त होगा। परीक्षार्थी को इस परीक्षा में उत्तीर्ण तब घोषित किया जाएगा जब उसने पूरक परीक्षा में वह विषय/वे विषय उत्तीर्ण कर लिया/लिए हों जिसमें/जिनमें वह पहले अनुत्तीर्ण हुआ था/थी।

**(ii) यदि कोई विद्यार्थी एक अथवा सभी पूरक परीक्षाओं मे नहीं बैठता या अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा तथा उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य–विवरण तथा पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड की आगामी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। प्रायोगिक–परीक्षा वाले विषयों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रहेगा कि वे प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में पुनः बैठें अथवा पूरक परीक्षा के लिए तीसरे अवसर के बाद एक अन्य वार्षिक परीक्षा में अपने पिछले अंक यथावत् रखें।

(iii) मार्च परीक्षा में पूरक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों का पाठ्य विवरण (सिलेबस) और पाठ्यक्रम वही होगा जैसा परीक्षा में बैठने वाले पूरे विषयों वाले परीक्षार्थियों पर लागू होगा।

***(iv) पूरक परीक्षा में रखे गए विद्यार्थी को आगामी वर्ष मार्च/अप्रैल में होने वाली पूरक परीक्षा के दूसरे अवसर पर केवल उन्हीं विषयों में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिनमें उसे पूरक रखा गया हो।

(v) प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए, यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, तो उसे केवल सिद्धांत परीक्षा में बैठना होगा और पिछली प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को आगे जमा किया जाएगा और इसे हिसाब में लिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे सैद्धान्तिक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर लेने के बावजूद भी सैद्धान्तिक और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में ही बैठना होगा।

***(vi) वे अभ्यर्थी जिनका माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा–10वीं) में परिणाम पूरक रहा उन्हें उस वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित पूरक परीक्षा में प्रथम अवसर लेने तक 11वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। यदि वह पूरक परीक्षा के प्रथम अवसर में अनुतीर्ण रहता है तो उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा।

****42 (क) **माध्यमिक/वरिष्ठ प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रखना**

यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में, पहली बार अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे आगामी वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। वह केवल सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा ही देगा/देगी और पूर्ववर्ती प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको को अग्रेनीत किया जाएगा तथा उनकी गणना की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी पहले प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो तो उसे सैद्धान्तिक (लिखित) और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं देनी होंगी। यदि वह प्रथम प्रयास के उपरान्त दो वर्ष तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता/पाती तो उसे प्रायोगिक परीक्षा सहित सभी विषयों की परीक्षा पुनः देनी होगी।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 18.2.2000 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18.01.2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** ये नियम परीक्षा समिति की 24.9.2001 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 18.12.2001 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

*** ये नियम परीक्षा समिति की 21.1.2002 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 9.5.2002 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

**** यह नियम परीक्षा समिति की 25.6.2003 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 27.6.2003 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

*43. अतिरिक्त विषय(यों)

अभ्यर्थी, जिसने बोर्ड की माध्यमिक/सीनियर स्कूल प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकते हैं बशर्ते कि अध्ययन योजना में वह विषय उपलब्ध हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 6 वर्षों के अन्दर हो। छह वर्षों तक समय सीमा के बाद कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में उपस्थित होने की सुविधा केवल वार्षिक परीक्षा में ही उपलब्ध होगी।

44. निष्पादन संबंधी सुधार

44.1 वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा

**(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, केवल अगले वर्ष में मुख्य परीक्षा की एक या एक से अधिक विषय(यों) में निष्पादन सुधार के लिए पुनः बैठ सकता है। फिर भी ऐसा विद्यार्थी जो व्यावसायिक योजना के अधीन बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, अगले वर्ष या अनुवर्ती वर्ष में मुख्य परीक्षा में एक या एक से अधिक विषय(यों) में निष्पादन सुधार के लिए बैठ सकता है बशर्ते कि वह इसी बीच में उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो। ऐसा विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठेगा। फिर भी यदि एक नियमित परीक्षार्थी के रूप में विद्यालय द्वारा उन्हें अनुमत किया गया हो तो पूरी परीक्षा में पुनः बैठने वाले परीक्षार्थी एक नियमित विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में भी बैठ सकता है। किसी भी मामले में, कोई भी परीक्षा निष्पादन सुधार के लिए एक बार से अधिक नहीं बैठ सकता है।

(ii) प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए यदि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है तो उसे केवल सिद्धांत परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी और मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्रायोगिक परीक्षा के अंक को आगे जमा किया जाएगा और इसे हिसाब में लिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे पहले ही सिद्धांत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बावजूद भी सिद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में ही बैठना होगा।

**(iii) ऐसा विद्यार्थी जो निष्पादन में सुधार के लिए परीक्षा में बैठता है उसे मुख्य परीक्षा तथा अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक दशार्ते हुए अंकों का विवरण जारी किया जाएगा।

***(iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन सुधार के लिए उपस्थित होने वाला अभ्यर्थी साथ–साथ अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित नहीं हो सकता।

44.2 माध्यमिक परीक्षा

(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है केवल अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में निष्पादन सुधार के लिए पुनः बैठ सकता है बशर्ते वह इसी बीच में उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो, प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठेगा। पूरी परीक्षा में पुनः बैठने वाले परीक्षार्थी एक नियमित विद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में भी बैठ सकते हैं।

(ii) प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय(यों) में सुधार के लिए बैठने वाले विद्यार्थी केवल सिद्धांत परीक्षा में ही बैठेगा और पिछले प्रायोगिक अंक को जमा किया जाएगा और उसे हिसाब में लिया जाएगा।

**(iii) ऐसा विद्यार्थी जो निष्पादन में सुधार के लिए परीक्षा में बैठता है उसे मुख्य परीक्षा तथा अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक दशार्ते हुए अंक विवरण जारी किया जाएगा।

***(iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन सुधार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी साथ–साथ अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित नहीं हो सकता।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 23.12.2004 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 30.12.2004 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

** यह नियम परीक्षा समिति की 25.6.2003 की बैठक में संशोधित किए गए और शासी निकाय की 27.6.2003 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

*** ये नियम परीक्षा समिति की 23.12.2004 की बैठक में जौडे गए और शासी निकाय की 30.12.2004 की बैठक में अनुमोदित किए गए।

45. पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी

विद्यालय परीक्षा के लिए

(i) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय वाले विद्यार्थियों को परीक्षा योजना में यथानिर्धारित दो भाषाओं को लेना अपेक्षित होगा, परन्तु उनको गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिगी के स्थान पर ग ह विज्ञान, वाणिज्य विषय लेने की अनुमति होगी।

(ii) दिल्ली से बाहर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय वाले विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमति नहीं हागी।

46. सस्तंभी (स्पैस्टिक), नेत्रहीन, शारीरिक रूप में विकलांग और डाइस्लेक्सिक विद्यार्थियों को छूट

डाइस्लेक्सिक, सस्तंभी विद्यार्थी (स्पैस्टिक) और द ष्टि एवं श्रवण दोष वाले विद्यार्थी दो भाषाओं के स्थान पर एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की संपूर्ण भावना के अनुकूल होनी चाहिए। एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से चार विषय लेने होंगे '–

गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, चित्रकला, ग ह विज्ञान और इंट्रोडक्टरी इंफोरमेशन टेक्नोलोजी।

8

गोपनीय कार्य

47. सामान्य

(i) यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो वह उसी केन्द्र/परीक्षा हाल में उसी परीक्षा में प्रश्नपत्रों के अनेक प्रकार के सेटों का उपयोग कर सकता है।

(ii) प्राश्निकों, परिनियामकों (माडरेटरों), गोपनीयता अधिकारियों, मुख्य परीक्षकों, परीक्षकों आदि की नियुक्ति नियम–विनियमों और इन उपविधियों में निहित उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जाएगी बशर्ते कि 47 से 55 की उपविधियों में किसी बात के होते हुए, अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह दर्ज कारणों से इन उपविधियों के प्रावधानों में छूट देकर व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(iii) प्राश्निकों, परिनियामकों (माडरेटरों), मुख्य गोपनीयता अधिकारियों/गोपनीयता अधिकारी, मुख्य परीक्षक, परीक्षक और समन्यवक के रुप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसका निकट संबंधी उस वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठ रहा है अथवा बैठा है। इस प्रयोजन के लिए निकट संबंधी का अभिप्राय पत्नी, पति, पुत्र एवं पुत्री और उनके परिवार के सदस्य, भतीजा/भतीजी अथवा पत्नी/पति के साथ इस तरह का संबंध रखने वाले व्यक्ति से होगा।

48. (क) प्राश्निक/परिनियामक (माडरेटर) की नियुक्ति संबंधी अर्हताएँ

(I) (i) प्राश्निक को संबंधित विषय अथवा संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी होना चाहिए;

(ii) प्राश्निक को माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा स्तर में संबंधित विषय में अध्यापन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा संस्थापित राज्य/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा एजेन्सियों में कार्यरत हो और जो माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए अध्ययन सामग्री के अनुसंधान/विकास या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संगठनों में वास्तविक रुप से लगा हुआ हो।

यदि अध्यक्ष की राय में ऐसी नियुक्ति वांछनीय है तो अध्यक्ष विषय से संबंद्ध व्यवसाय के अन्य व्यक्तियों को भी उस विषय में प्राश्निक के रुप में नियुक्त कर सकता है।

(iii) प्राश्निक के रुप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित फार्म में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी और अन्य बातों के साथ यह भी बताना अपेक्षित होगा कि :–

(क) उसने इस विषय से संबंधित संदर्शिका (गाइड बुक), सहायक पुस्तक, कुंजी अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्री किसी भी नाम से नहीं लिखी है अथवा संशोधित की है;

(ख) वह प्राइवेट ट्यूशन और/अथवा प्राइवेट संस्थाओं में कोचिंग अथवा इसी प्रकार से अन्य कार्यों में नहीं लगा/लगी है;

(ग) इन उपविधियों में उल्लिखित संबंधियों में से कोई संबंधी उस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ रहा/रही है।

(II) परिनियामकों (माडरेटरों) ही अर्हताएँ :

(क) परिनियामकों के रुप में नियुक्त व्यक्ति प्राश्निक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा;

(ख) परिनियामकों के रुप में नियुक्त व्यक्ति के लिए भी उप–विधि 48(क) (**I**) (i) से (iii) के अधीन प्राश्निकों के लिए निर्धारित योग्याताएँ होना आवश्यक है।

48. (ख) प्रश्नपत्रों का अनुशोधन/प्राश्निकों तथा परिनियामकों के कर्त्तव्य

(i) प्रश्नपत्रों का अनुशोधन (माडरेशन) अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित परिनियामकों के दल अथवा प्रत्येक परिनियामक द्वारा किया जा सकता है।

(ii) प्रश्नपत्रों का निर्माण करते समय प्राश्निकों और प्रश्नपत्रों को संचालित करते समय परिनियामकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्नपत्रों के सभी सेट परीक्षित अवधारणाओं, अपेक्षित संज्ञानात्मक प्रचालन, उत्तर का विस्तार, कठिनाई स्तर, समय–सीमा और पाठ्यविवरण के अनुरुप हैं।

(iii) बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार परिनियामक/परिनियामकों के दल को प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त सेट भी तैयार करने होंगे।

(iv) प्राश्निक और परिनियामक को यह सुनिश्चित करना होगा कि :–

(क) प्रत्येक प्रश्नपत्र का निर्माण विषय के पाठ्यविवरण, ब्लू प्रिंट, डिजाइन और पाठ्यपुस्तकों/संस्तुत पुस्तकों के अनुसार किया गया है;

(ख) प्रत्याशित उत्तरों, महत्वपूर्ण बिन्दुओं और अंकों का विवरण देते हुए प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए व्यापक अंकन योजना बनाई गई है;

(ग) प्रश्नों, विशेष रुप से अंकीय प्रश्नों के हल स्वयं किए गए है;

(घ) प्रत्येक प्रश्न के सामने ऐसे औसत परीक्षार्थी द्वारा लिया जाने वाला अनुमानित समय बताया गया है जिसने सावधानीपूर्वक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और विधिवत् परीक्षा की तैयारी की है;

(ड) यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रश्न में अुशद्ध अथवा अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नही किया गया है ताकि प्रश्न की व्याख्या उसके वास्तविक आशय से भिन्न न हो (प्रत्येक प्रश्न को भाषिक रुप से सुस्पष्ट, परिशुद्ध और सभी प्रकार की सीमाओं से रहित होना चाहिए;

(च) न्यूनतम पर विभिन्न उप–युनिटों के अंतर्गत अंकों के अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए विषय की पाठ्यचर्या में दिए गए इकाई–वार महत्व के अनुसार ही प्रश्नपत्र को क्रमशः ठीक–ठाक से सेट करना और उसका अनुशोधन करना होगा;

(छ) एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उप–खंड (ii) और (iv) के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

48. (ग) प्राश्निकों/परिनियामकों (माडरेटरों)/मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों/समन्वयकों का अयोग्य होना

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राश्निक/परिनियामक नियुक्त नहीं किया जाएगा :–

(i) यदि उसने विषय से संबंधिक संदर्शिका (गाइड बुक), सहायक पुस्तक, कुंजी अथवा इसी प्रकार की अन्य सामग्री किसी भी नाम से लिखी है;

(ii) यदि वह प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट संस्थाओं में कोचिंग अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य करता है।

(ख) जहां अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्यवक :– अथवा

(i) कार्य पूरा करने के लिए अयोग्य है अथवा अपेक्षित मानक/गुणवत्ता युक्त कार्य पूरा नहीं किया है; अथवा

(ii) बोर्ड के निर्देशों को पूरा करने के योग्य नहीं रहता; अथवा

(iii) यदि संदेह हो जाता है कि वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है (जैसे प्रश्न पत्रों आदि का पता चलना/लीक होना आदि) और उस पर से विश्वास उठ गया है तथा/या अनैतिक, अशैक्षिक या अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो; अथवा

(iv) उसने झूठी घोषणा प्रस्तुत की है अथवा कोई तथ्य छिपाया है

तो वह :

(क) प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्वयक के रूप में उसकी नियुक्ति रद्द कर सकता/सकती है; और/अथवा

(ख) वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा स्थायी रूप से बोर्ड के सभी अथवा कुछ लाभकारी कार्यों से उसे अयोग्य घोषित कर सकता/सकती है और/अथवा;

(ग) वह देय पारिश्रमिक जब्त/कम कर सकता/सकती है; अथवा

(घ) वह कोई अन्य कार्यवाई कर सकता/सकती है; जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उसके द्वारा उचित समझा जाए।

48. (घ) प्राश्निकों/परिनियामकों/मुख्य परिक्षकों/परीक्षकों आदि के लिए अनुदेश

अध्यक्ष के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक इन उपविधियों के अनुरुप सभी परीक्षा कार्य (इसमें प्राश्निक/परिनियामक/मुख्य परीक्षक/परीक्षक समन्वयक शामिल हैं) के लिए विस्त त अनुदेश जारी करेंगे;

बशर्ते कि यदि कोई प्रशासनिक कार्य अथवा इससे भिन्न मामले में उत्पन्न स्थिति जो अध्यक्ष की राय में इन उप–विधियों के विचलन में अनुदेशों/निर्देशों की आवश्यकता है तो अध्यक्ष जैसा भी वह आवश्यक समझे वैसे अनुदेशों/निर्देशों का आदेश जारी कर सकता है परन्तु इसकी सूचना समुचित समितियों/शासी निकाय को अगली बैठक में देगा।

48. (ङ•) (i) सभी प्रश्नपत्रों को अनन्य रुप में परीक्षा नियंत्रक अथवा अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित अन्य अधिकारियों के अभिरक्षण में रखा जाएगा।

(ii) प्राश्निक द्वारा निर्मित और तत्पश्चात् परिनियामक (कों) द्वारा अनुशोधित प्रश्नपत्र के संबंध में सर्वाधिकार बोर्ड के पास होंगे।

49. उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त करना

(i) परीक्षा केन्द्र से सभी उत्तरपुस्तिकाएँ संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अथवा परीक्षा नियंत्रक द्वारा की गई सिफारिश और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएँगी।

(ii) सभी उत्तरपुस्तिकाएँ गोपनीय दस्तावेज समझी जाएँगी और परीक्षा नियंत्रक/अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को इन्हें रखने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त सभी उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षार्थी के वास्तविक अनुक्रमांक को अन्य अवास्तविक संख्या में बदल दिया जाएगा।

(iv) वास्तविक संख्याओं का अवास्तविक संख्याओं में परिवर्तन मुख्य गोपनीयता अधिकारी के संपूर्ण नियंत्रण में गोपनीयता अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाएगा।

50. मुख्य गोपनीयता अधिकारी/गोपनीयता अधिकारी

(i) अध्यक्ष किसी कॉलेज के प्रोफेसर अथवा प्राचार्य अथवा किसी कालेज के रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर अथवा ऐसे अन्य सत्यनिष्ठ ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति को दिल्ली और क्षेत्रीय स्तर की बोर्ड परीक्षा के लिए मुख्य गोपनीयता अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(ii) प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी ऐसे व्यक्तियों, जो उसके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे, का अपना दल अभिनिर्धारित करेगा। ऐसे व्यक्ति कम से कम कॉलेज में लेक्चरर रैंक के होंगे।

(iii) मुख्य गोपनीयता अधिकारी और उसके दल को जो काम सुपुर्द किया गया है, उसकी गोपनीयता बनाई रखनी चाहिए।

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका आश्रित अथवा निकट संबंधी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहा है, गोपनीयता अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(v) प्रत्येक मुख्य गोपनीयता अधिकारी और गोपनीयता अधिकारी को समय–समय पर बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित दरों पर उनके कार्य के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा।

51. मूल्यांकन

(i) अवास्तविक अनुक्रमांक वाली सभी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(ii) सामान्य स्थिति के अंतर्गत, बोर्ड समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारित शहरों और केन्द्रों में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा।

(iii) स्थान–मूल्यांकन केन्द्र सामान्यतया बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में स्थित होंगे।

(iv) विशेष परिस्थितियों में, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान पर किया जा सकता है।

52. अंकन योजना

(i) प्राश्निक द्वारा प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए एक विस्त त अंकन योजना प्रश्नपत्र के साथ तैयार की जाएगी।

(ii) अंकन योजना में प्रत्येक उत्तर के संबंध में मूल्यांकन बिंदु निर्दिष्ट किये जाएँगे और प्रत्येक मूल्यांकन बिंदु के लिए दिए जाने वाले अंक निर्धारित किए जाएँगे।

(iii) नमूना उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर मुख्य परीक्षकों के समूह द्वारा मूल अंकन योजना को संशोधित/आशोधित किया जा सकता है।

53. मुख्य परीक्षक

(i) अध्यक्ष, संबद्ध विद्यालय के प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.) अथवा किसी कॉलेज में लेक्चरर के रैंक के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को किसी विषय/प्रश्नपत्र का मुख्य परीक्षक नियुक्त करेगा।

(ii) मुख्य परीक्षक अंतिम अंकन योजना के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के समान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य परीक्षक मूल्यांकन को मॉनीटर करेगा और अंकन योजना का कडाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

(iii) मुख्य परीक्षक मूल्यांकन में विसंगतियाँ, अनियमितताएँ और मूल्यांकन के दौरान ज्ञात हुए अनुचित साधनों के संदेहास्पद उपयोग की जानकारी परीक्षा नियंत्रक को देगा।

(iv) मुख्य परीक्षक ऐसे परीक्षकों के नाम लिखित में परीक्षा नियंत्रक को बताएगा जिन्होंने बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया है अथवा जिन्होंने समय पाबन्दी का ध्यान नहीं रखा है अथवा जिन्होंने आचरण संहिता का अनुपालन नहीं किया है ताकि उनके विरूद्ध बोर्ड द्वारा उचित कार्यवाई की जा सके।

(v) ऐसे व्यक्ति को मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका आश्रित (ward) अथवा संबंधी अथवा जिसके निकट संबंधी का आश्रित परीक्षा में बैठ रहा हो।

(vi) मुख्य परीक्षक मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन के लिए सौंपी गई सभी उत्तरपुस्तिकाओं का अभिरक्षक होगा और भौतिक एवं प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान करेगा जो मूल्यांकन को शीघ्र, सुचारू रूप से और उचित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

(vii) मुख्य परीक्षक प्रदान की गई जानकारी और उसको दी गई सभी सामग्री को सर्वथा गोपनीय रखेगा और किसी भी हालत में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा।

(viii) दस से पन्द्रह परीक्षकों के समूह के लिए एक मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

*54. अतिरिक्त मुख्य परीक्षक

(i) मुख्य परीक्षक द्वारा अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यदि परीक्षकों की स्वीकृत संख्या किसी भी मूल्यांकन के दिन पाँच से अधिक हों। वह मुख्य परीक्षक की उनके कार्यों में सहायता करेगा/करेगी और बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करेगा/गी।

(ii) कक्षा XII के लिए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति के लिए उसी विषय के पी.जी.टी., जिन्हें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो, पात्र है और कक्षा X के लिए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति के लिए उसी विषय के टी.जी.टी. जिन्हें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो, पात्र हैं।

(iii) नियम 54(i) और (ii) में दिए गए प्रावधानों के बावजूद भी, अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह उन विशिष्ट कारणों को अंकित करते हुए अतिरिक्त मुख्य परीक्षक की नियुक्ति, उस उपविधि के प्रावधानों से छूट प्रदान करते हुए कर सकता है।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 25-6-03 की बैठक में पुनः समिलित किया गया और शासी निकाय की 27-6-03 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

55. परीक्षक

अध्यापकों की सूची

(i) संबद्ध संस्थाओं के प्रमुख प्रत्येक वर्ष अपने संबंधित संस्थानों में से अध्यापकों के नाम की सिफारिश करेंगे जो इन उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार परीक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र हों।

परीक्षक की अर्हताएँ

(ii) **परीक्षक :**

(क) संबंधित/संबद्ध विषय में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के मामले में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री और माध्यमिक स्तर के मामले में स्नातक डिग्री प्राप्त हो;

(ख) माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर शिक्षा में कम से कम तीन वर्षों का अध्यापन अनुभव हो; और

*(ग) वह इस बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से संबंध विद्यालय में उसी विषय का अनुभवी अध्यापक हो अथवा ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल हो। माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए अध्ययन सामग्री के विकास या अनुसंधान कार्य में कार्यरत हो अथवा सी.बी.एस.सी. से संबद्ध किसी स्कूल में सेवा निव त्ति से पूर्व उसी विषय का अध्यापक (कक्षा XII के लिए पी.जी.टी. और कक्षा X के लिए टी.जी.टी.) हो तथा मूल्यांकन कार्य वाले वर्ष में 1 अप्रैल को उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो।

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति को विषय के परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया हो और/अथवा उसके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो अथवा विभागीय जांच हो रही हो अथवा उसे बोर्ड के किसी कार्य से पहले की बहिष्कृत कर दिया गया है अथवा अध्यक्ष की राय में जिसकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद हो।

(iv) किसी व्यक्ति को एक से अधिक विषय के लिए अथवा एक से अधिक परीक्षा के लिए एक साथ परीक्षक के रुप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

56. दल मूल्यांकन

(i) बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक व्यक्ति/दल चुन सकता है।

(ii) दल के निर्धारण की विधि निश्चित करने की जिम्मेदारी केवल बोर्ड अथवा मुख्य परीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, पर छोड़ दी जाएगी।

(iii) दल मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करने की द ष्टि से ऐसे मामले में प्रश्नपत्र और अंकन योजना को उचित रूप से निर्धारित किया जाएगा।

57. एवार्ड सूची

**(i) एवार्ड सूचियाँ तीन प्रतियों में तैयार की जाएँगी।

(ii) सभी एवार्ड सूचियाँ बोर्ड की गोपनीय दस्तावेज हैं।

(iii) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति को एवार्ड सूचियों संबंधी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) परीक्षा नियंत्रक अथवा संयुक्त सचिव (समन्वय) अथवा क्षेत्रीय अधिकारी को छोड़कर कोई व्यक्ति एवार्ड में कोई परिवर्तन संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित एवं हस्ताक्षरित सभी सूचनाएँ लिखित रूप में भेजी जाएँगी।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 24-9-1996 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 27-9-1996 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम परीक्षा समिति की 18-2-2000 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 18-1-2001 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

(v) परीक्षा की एवार्ड सूचियाँ परिणाम की घोषणा हो जाने के तीन महीने बाद बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति की उपस्थिति में नष्ट की जाएँगी।

58. स्थल मूल्यांकन "नोडल केन्द्र"

'नोडल केन्द्र' एक ऐसा विद्यालय है जो बहुत से विनिर्दिष्ट विषयों/योजनाओं के मूल्यांकन और समन्वय के लिए स्थान, सुविधाएँ और साधन प्रदान कर सकता है और जो लगभग 10 विद्यालयों के आसपास स्थित है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, विशेष रूप से दिल्ली के बाहर क्षेत्रों में उपयुक्त मध्य में स्थित एक 'नोडल केन्द्र' स्थापित करने की संभावनाओं की छानबीन करेंगे। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए एक 'नोडल केन्द्र निर्धारित किया जाएगा :–

(i) एक 'नोडल केन्द्र' लगभग 10 विद्यालयों के मध्य में स्थित होना चाहिए;

(ii) केन्द्र में नियुक्त कर्मचारी यहाँ आसानी से पहुँच सकें;

(iii) नोडल केन्द्र में योग्य और अनुभवी कर्मचारी (स्टाफ) होने के साथ पड़ोसी स्कूलों में मुख्य परीक्षक/परीक्षक/समन्वयक के रूप में कार्य कर सकने वाले व्यक्ति उपलब्ध हों;

(iv) कमरों/भंडारों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था हो ताकि उत्तरपुस्तिकाओं के थैलों और इससे संबद्ध गोपनीय सामग्री को विषयवार अलग से रखा जा सके;

(v) इसमें पर्याप्त सुरक्षा, परिवहन और संचार संबंधी सुविधाएँ होनी चाहिए; और

(vi) नोडल केन्द्र अध्यक्ष के अनुमोदन से तय किया जाएगा।

59. परिणामों की घोषणा

(i) बोर्ड द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं के परिणाम अध्यक्ष के अनुमोदन से घोषित किए जाएँगे।

(ii) परिणाम की घोषणा के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा विद्यालय द्वारा कोई सूचना न मिलने पर बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) यदि परीक्षार्थियों के परिणाम को बोर्ड द्वारा किन्हीं उचित कारणों से बाद में घोषित किया जाता है और उन्हें नियमों में यथा निर्धारित समय के अंदर घोषित किया जाता है तो परीक्षार्थी(यों) को हुई किसी भी प्रकार की आर्थिक/अन्य हानि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

(iv) बोर्ड के कार्यालय में रखे गए 'गजट' में परीक्षार्थियों को प्राप्त अंको/श्रेणियों की वास्तविक स्थिति के साथ–साथ उनकी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/पूरक स्थिती संबंधी परिणाम दर्शाए जाएंगे।

60. 'बाद में परिणाम' देने संबंधी मामले

(i) प्राप्त आंकड़ों की अपर्याप्तता, परीक्षार्थी, विद्यालय, परीक्षा केन्द्र आदि से सूचना के अभाव के कारण बोर्ड परीक्षार्थी(यों) के परिणाम 'बाद में परिणाम' के रुप में घोषित कर सकता है।

(ii) ऐसे परीक्षार्थियों के परिणाम बोर्ड द्वारा परिणामों की घोषणा की तारीख से उचित समय के भीतर आंकड़े/सूचना उपलब्ध होने पर बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा। बाद में परिणाम के लिए परीक्षार्थी को हुई किसी हानि/क्षति के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

61. किसी विषय में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन

(i) ऐसा परीक्षार्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल हुआ है, किसी विशेष विषय में अंकों के सत्यापन के लिए बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सत्यापन में केवल इस बात की जाँच की जाएगी कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है और उस विषय में प्रत्येक प्रश्न के अंकों को जोड़ने में कोई चूक नहीं हुई है, और अंकों को उत्तर पुस्तिका के शीर्ष प ष्ठ पर और एवार्ड सूची में सही रूप से अंतरित किया गया है और परीक्षार्थी द्वारा उल्लिखित उत्तरपुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तरपुस्तिका(एँ) ठीक ढंग से लगी हुई हैं। उत्तर पुस्तिका और पूरक उत्तर पुस्तिका(ओं) का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

*(ii) ''ऐसा आवेदन मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर और कम्पार्टमेंट परीक्षा के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।

(iii) ऐसे सभी आवेदनों के साथ समय–समय पर बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित शुल्क की अदायगी करनी होगी।

(iv) कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तरों के पुर्नमूल्यांकन अथवा उत्तर पुस्तिका(ओं) अथवा अन्य दस्तावेजों को प्रकट करने अथवा निरीक्षण के लिए दावा नहीं करेगा अथवा इसके लिए हकदार नहीं होगा।

(v) कोई परीक्षार्थी शुल्क की वापसी के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक उसके अंकों के सत्यापन के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता।

(vi) किसी भी हालत में अंकों का सत्यापन परीक्षार्थी अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं किया जाएगा न ही उसे या उसके प्रतिनिधि को उत्तरपुस्तिकाएँ दिखाई जाएँगी।

(vii) किसी परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारियों अथवा उसके अनुमोदन से किया जाएगा।

(viii) सत्यापन करने पर अंकों का संशोधन उत्तरपुस्तिका में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के अनुसार बढ़ाकर या घटाकर किया जाएगा।

(ix) अंकों के संशोधन के संबंध में सूचना, यदि कोई हो तो, उचित समय के भीतर परीक्षार्थी को भेजी जाएगी।

(x) अंकों के संशोधन अथवा नियंत्रण से परे कारणों के लिए पत्र–व्यवहार में हुए विलंब के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी को हुई हानि अथवा क्षति अथवा असुविधा के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

(xi) परीक्षार्थी द्वारा पिछले अंकों का विवरण लौटाने के बाद ऐसे परीक्षार्थी के संबंध में बोर्ड अंकों के विवरण को संशोधित करेगा।

(xii) अंकों के सत्यापन के परिणाम पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

62. उत्तर पुस्तिकाओं का रखरखाव

उत्तरपुस्तिकाओं को तीन महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा और इसके बाद समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित तरीके से इन्हे नष्ट कर दिया जाएगा।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 23-12-2004 की बैठक में संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 30-12-2004 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

9

प्रमाणीकरण

63. उत्तीर्णता प्रमाणपत्र/अंक विवरण

(i) ऐसे परीक्षार्थी को अंकों/श्रेणियों का विवरण जारी किया जाएगा जो बोर्ड की परीक्षा में बैठा है।

(ii) जो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठा है, और उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे उत्तीर्ण **प्रमाणपत्र** दिया जाएगा। फिर भी वह परीक्षार्थी, जो अपना परीक्षा निष्पादन सुधारने के लिए अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए परीक्षा में बैठा है, को एक अलग प्रमाणपत्र अथवा संयुक्त अंक विवरण जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी को उस विषय(यों) में अंको का एक ही विवरण दिया जाएगा।

64. अनंतिम प्रमाण-पत्र

(i) जिस परीक्षार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसका समय–समय पर निर्धारित शुल्क अदा करने पर बोर्ड द्वारा एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(ii) जिस परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया गया है, उसको वास्तविक स्थिति बताते हुए एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

65. जन्म तिथि का प्रमाणपत्र

(i) बोर्ड के अभिलेख में परीक्षार्थी की जो जन्म तिथि दर्ज होगी, उसी को केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षार्थी को जारी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र में र्निदिष्ट किया जाएगा।

(ii) निर्धारित शुल्क अदा करने पर कोई परीक्षार्थी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र बोर्ड से प्राप्त कर सकता है जो बोर्ड के अभिलेख में दर्ज है।

66. प्रवास प्रमाणपत्र

(i) ऐसा परीक्षार्थी, जो बोर्ड की परीक्षा में बैठा है और उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, निर्धारित शुल्क अदा करके प्रवास प्रमाणपत्र (माईग्रेशन प्रमाणपत्र) प्राप्त कर सकता है।

(ii) पूरक रखे गए परीक्षार्थी को भी उसकी स्थिति बताते हुए प्रवास प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

*67. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति (अनुलिपि)

परीक्षार्थी के मूल प्रमाण–पत्र खो जाने/चोरी होने/फट जाने (नष्ट होने) पर निर्धारित शुल्क की अदायगी करने पर तथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करके प्रमाण–पत्र की अनुलिपि/त तीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ उसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के स्तर के किसी अधिकारी से अथवा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को संलग्न करना होगा। साथ ही प्रमाण–पत्र की अनुलिपि/त तीय प्रति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी विख्यात् समाचार पत्र में विज्ञापन/प्रेस नोट देना होगा कि उसका प्रमाण–पत्र खो गया है/चोरी हो गया है/नष्ट हो गया/फट गया और उसकी कतरन को बोर्ड में आवेदन करते समय आवेदन–पत्र तथा शपथ–पत्र के साथ सलंग्न करना होगा।

**68. माता के नाम का प्रावधान

परीक्षार्थी को छूट होगी (विकल्प होगा) कि वह बोर्ड के अभिलेख (प्रमाण–पत्र, अंक तालिका इत्यादि) में अपनी माता या अपने पिता के नाम का उल्लेख करें।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 26-8-2002 की बैठक में संशोधित किया गया तथा शासी निकाय की 9-12-2002 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

** यह नियम शासी निकाय की 18-12-2001 की बैठक में संशोधित किया गया।

69. बोर्ड के प्रमाणपत्र में परिवर्तन

69.1 परिवर्तन और नाम में दोष सुधार

(i) नाम में दोष सुधार से तात्पर्य परीक्षार्थी के नाम/उपनाम/, पिता के नाम/माता के नाम में वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, तथ्यात्मक त्रुटियाँ, मुद्रण संबंधी त्रुटियों में दोष सुधार से है ताकि विद्यालय अभिलेख के अनुसार ही नाम हो जाए।

नाम परिवर्तन में रद्दोबदल, व द्धि, लोप शामिल है, ताकि विद्यालय अभिलेख में दर्ज नाम से भिन्न नाम हो जाए।

(ii) नाम में दोष सुधार संबंधी आवेदनपत्र पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परीक्षार्थी के आवेदनपत्र निम्नलिखित कागजात के साथ अग्रेषित किए गए हों :–

(क) दाखिले के समय माता–पिता द्वारा भरे गए प्रवेश पत्र;

(ख) दाखिले के समय विद्यार्थी के माता–पिता द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले विद्यालय को छोड़ने का प्रमाणपत्र; और

(ग) विद्यालय के उस दाखिले और निकासी रजिस्टर के प ष्ठ का भाग जहाँ परीक्षार्थी के सम्बन्ध में प्रविष्टी की है।

(iii) विद्यालय के मूल अभिलेखों का सत्यापन हो जाने के बाद और निर्धारित शुल्क की अदायगी करने पर बोर्ड आवश्यक दोष सुधार कर सकता है।

(iv) नाम/उपनाम संबंधी उन आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा, जहाँ ऐसे परिवर्तनों की अनुमति न्यायालय द्वारा दी गई हो और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। किसी विद्यार्थी के नाम परिवर्तन की अनुमति देने वाले न्यायालय के मामले में, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नाम के परिवर्तन के संबंध में संगत दस्तावेज प्राप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा नाम परिवर्तन किया जाएगा।

69.2 जन्म की तारीख में परिवर्तन/दोष सुधार

(i) बोर्ड के अभिलेख में एक बार दर्ज जन्म की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर भी, प्रमाणपत्र को विद्यालय अभिलेख के अनुकूल बनाने के लिए मुद्रण और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के दोष सुधार किए जा सकते है बशर्ते कि परीक्षा में प्रवेश संबंधी आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय अभिलेख में दोष सुधार नहीं किया गया हो।

(ii) वास्तव में लिपिकीय त्रुटियों के मामले में, किसी विद्यार्थी की जन्मतिथि में ऐसा दोष सुधार अध्यक्ष के आदेश से किया जाएगा, जहाँ अध्यक्ष के संतुष्ट हो जाने पर यह मान लिया गया हो कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सूची/उसके आवेदनपत्र में गलत प्रविष्टि हो गई थी।

(iii) जन्म तिथि में दोष सुधार संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित की साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रतियों सहित विद्यालय के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाएगा :–

(क) विद्यालय में विद्यार्थी के दाखिले संबंधी आवेदनपत्र;

(ख) दाखिला एवं निकासी रजिस्टर के प ष्ठ का भाग, जहाँ जन्म की तारीख की प्रविष्टि की गई है; और

(ग) दाखिले के समय प्रस्तुत किए गए पिछले विद्यालय का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।

(iv) उप–विधि 69.2 (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत् अग्रेषित जन्म की तारीख में दोष सुधार संबंधी आवेदनपत्र पर कक्षा X की परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर ही बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। दो वर्ष की उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र में कोई दोष सुधार नहीं किया जाएगा। यह मार्च, 1995 में होने वाली परीक्षा से प्रभावी होगा।

10
संयुक्त अक्षयनिधि छात्रव त्ति

70. सामान्य शर्तें

(i) इन उपविधियों के प्रावधान के अधीन, बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के अधार पर विभिन्न अक्षयनिधियों में प्राप्त निधियों से बोर्ड समय–समय पर छात्रव त्तियाँ प्रदान करेगा।

(ii) छात्रव त्तियाँ 1989 की परीक्षाओं से दी जा रही हैं।

*(iii) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रव त्तियों की संख्या पांच होगी।

(iv) प्रत्येक छात्रव त्ती का मूल्य 60/- प्रति माह 24 महीने के लिए देय होगा।

(v) यदि कोई छात्रव त्तीधारक छात्रव त्ती पाने का पात्र नहीं रहता है तो यह (छात्रव त्ति) बोर्ड को व्यपगत हो जाएगी।

(vi) छात्रव त्ति संबंधी सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

70.1 चयन प्रक्रिया

(i) विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र की संख्या के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात सर्वप्रथम 5 विषयों में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, इसके बाद 4 विषयों और इससे कम विषयों में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।

(ii) यदि कई विद्यार्थी उत्कृष्टता प्रमाणपत्र के समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बाह्य परीक्षा के सभी विषयों में उनकी श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

(iii) यदि विद्यार्थी श्रेणियों में बराबर होते हैं तो निर्णय कुल अंकों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

(iv) यदि विद्यार्थी का योग भी बराबर है तो उसी क्रम में गणित और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में अलग–अलग अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी छात्रव त्ति पाने के हकदार होंगे।

70.2 पात्रता

छात्रव ति प्राप्तकर्त्ता अपनी छात्रव ति के लिए पात्र होगा :

(क) उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिए भारत में किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में अपना दाखिला लेने पर।

(ख) अध्ययन में उत्कृष्ट आचरण और संतोषजनक प्रगति होने पर, जो संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित होगा।

(ग) संस्था के उपस्थिति रजिस्टर में बने रहने पर।

(घ) कोई अन्य छात्रव त्ति प्राप्त न करने पर।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 6-10-1998 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय की 9-10-1998 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी

यदि वह उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम के दौरान परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे छात्रव त्ति देना बंद कर दिया जाएगा।

70.3 भुगतान की विधि

(i) छात्रव त्ति का भुगतान छात्रव त्ति पाने वाले को सीधे नहीं किया जाएगा। छात्रव त्ति प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्रों में बिल प्रस्तुत करने पर संबंधित संस्था प्रमुख के माध्यम से इसका भुगतान किया जाएगा।

(ii) छात्रव त्ति का भुगतान एक बार में तीन महीने की अवधि से कम नहीं होगा।

70.4 अवधि

छात्रव त्ति माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद दो वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाएगी, जो परीक्षा छात्रव त्ति प्राप्तकर्ता को छात्रव त्ति देने का आधार थी।

11

समकक्षता

71 विभिन्न बोर्डों ने एक–दूसरे के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को समकक्षता प्रदान की है और इसके परिणामस्वरूप एक बोर्ड से अन्य बोर्ड में स्थानान्तरण बिंदुवार समकक्षता के आधार पर संभव है। फिर भी प्रत्येक बोर्ड/विश्वविद्यालय अगली कक्षा अर्थात् कक्षा XI अथवा कालेज का प्रथम वर्ष अथवा किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य शब्दों में, समकक्ष का अर्थ दो परीक्षाओं को बराबर करना मात्र है और पात्रता में बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तें हो सकती हैं।

विदेशों से प्राप्त योग्यताओं के संबंध में यह बोर्ड भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ हाऊस, 16 कोटला रोड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मान्यता/समकक्षता स्वीकार करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने भारत में उच्च अध्ययन में प्रवेश के प्रयोजन के लिए ऐसे लगभग 65 देशों, जिन्हे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रकाशन ''इक्वीवेलेंस ऑफ फॉरेन डिग्रीज़'' में देशवार सूचीबद्ध किया गया है, 12/13 वर्ष की माध्यमिक स्तर की योग्यता को मान्यता दी हैं। आवधिक परीक्षाओं को मान्यता मिल जाने पर (12/13 वर्ष की माध्यमिक स्तर) मूल प्रमाणित प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद न्यूनतम योग्यता स्वतः ही स्वीकार हो सकती है।

मान्यताप्राप्त विदेशी परीक्षा के नाम के सामने उसकी समकक्ष परीक्षा उल्लिखित है :

1. अफगानिस्तान

(क) राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, प्रशिक्षण निदेशालय, काबुल द्वारा संचालित मिलिटरी हाई स्कूल (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा — +2 स्तर की परीक्षा

(ख) शिक्षा मंत्रालय, अफगानिस्तान द्वारा प्रदान किया गया बेकालॉरिएट सर्टिफिकेट — –वही–

2. अल्जीरिया

इन्टरनेशनल स्कूल, बेथिइया, अलजीरिया का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा — –वही–

3. अर्जेंटीना

अमरिकन कम्युनिटी स्कूल (एसोसिएशन ईस्क्यूलेस लिंकन) ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना का 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा — –वही–

4. आस्ट्रेलिया

(क) (i) विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज एण्ड स्कूल एग्ज़ामिनेशन्स बोर्ड आस्ट्रेलिया और (ii) सीनियर स्कूल स्टडीज़ बोर्ड, सिडनी, न्यू साउथ वेल्स के हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन — –वही–

(ख) आस्ट्रेलिया कैपिटा टेरिटॉरी स्कूल अथारिटी, कैनबरा द्वारा संचालित आस्ट्रेलिया कैपिटा टेरिटॉरी ईयर 12 सर्टिफिकेट — –वही–

(ग) पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड, साउथ आस्ट्रेलिया एडिलेड द्वारा संचालित 12 ईयर्स साउथ आस्ट्रेलियन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन —वही—

(घ) विक्टोरियन इंस्टिट्यट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाने वाला ईयर 12 हायर स्कूल सर्टिफिकेट —वही—

(ड) सीनियर सर्टीफिकेट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकंडरी स्कूल स्टडीज़ क्वीन्सलैण्ड, आस्ट्रेलिया —वही—

5. बहरीन

सेकंडरी स्कूल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ दी स्टैट ऑफ बहरीन —वही—

6. बंगलादेश

बंगला देश के बोर्ड ऑफ इन्टरमीडिएट एण्ड सेकेंडरी एजूकेशन का हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन —वही—

7. बेल्जियम

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्रूसेल्स, बेल्जियम का 12 वर्षीय हाई स्कूल (एकेडमिक) ग्रेजुएट डिप्लोमा। —वही—

8. भूटान

नेशनल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ऑफ दी रॉयल गर्वनमेंट ऑफ भूटान द्वारा संचालित भूटानीज स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। —वही—

9. ब्राजील

अमेरिकन स्केल ऑफ ब्रासिलिया (ब्राजील) का हॉयर स्कूल डिप्लोमा [Escola Americana De Brasilla] —वही—

10. ब्रिटेन

(क) (i) सामान्य स्तर पर कम से कम यूनाइटेड किंगडम की जी० सी० ई० परीक्षा के 5 विषयों और अग्रिम स्तर पर 2 विषयों में उत्तीर्ण अथवा (ii) सामान्य स्तर पर 4 विषयों और अग्रिम स्तर पर 3 विषयों में उत्तीर्ण। —वही—

(ख) सामान्य ग्रेड में 5/4 विषयों और हायरग्रेड (उत्तीर्ण) में 2/3 विषयों में उत्तीर्ण (7 पासेस), स्कॉटिश एग्जामिनेशन बोर्ड, ऐडिनबर्ग, इंग्लैंड द्वारा प्रदान किया गया स्कौटिश सर्टीफिकेट ऑफ एजूकेशन —वही—

11. बर्मा

(क) बर्मा एग्जामिनेशन बोर्ड उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बोर्ड ऑफ कॉलेजस, बर्मा द्वारा संचालित रीजनल कॉलेज ऑफ बर्मा के एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित 2 वर्षीय प्री–डिग्री/डिप्लोमा कोर्स। —वही—

(ख) इंटरनेशन हाई स्कूल रंगून, बर्मा का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

12. कनाडा

(क) ऑनटेरिओ प्रोविन्स, कनाडा में माध्यमिक स्कूलों का सेकंडरी स्कूल ऑनर ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

(ख) शिक्षा मंत्रालय, ऑनटेरिओ, कनाडा के 6 ऑनटेरिओ एकेडमिक कोर्स से ऑनटेरिओ सेकंडरी स्कूल डिप्लोमा —वही—

(ग) सीनियर सेकंडरी स्कूल ग्रेजुएशन, शिक्षा मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, कोलम्बिया, कनाडा —वही—

(घ) सस्कैत्विन शिक्षा विभाग कनाडा का सस्कैत्विन स्कूल प्रोग्राम का ग्रेड 12 ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

(ड.) न्यू ब्रून्स्विक प्रॉविन्स, शिक्षा विभाग, न्यू ब्रून्स्विक, कनाडा का 12 वर्षीय सीनियर हाई स्कूल कालेज का प्रिपेरेटरी प्रोग्राम —वही—

(च) शिक्षा विभाग, प्राविंस ऑफ क्यूबक, कनाडा का डिप्लोमा ऑफ कॉलेजियल स्टेडीज़ —जनरल एजूकेशन प्रोग्राम (Diploma D-Ethudus) Collegial DEC ऑफ जनरल कॉलेजिस (सी.ई.जी.ई.पी.)। —वही—

(छ) शिक्षा विभाग, नोवा स्कॉटिया, कनाडा का हाई स्कूल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट —वही—

(ज) प्राविन्स ऑफ अल्बर्टा, कनाडा का 12 वर्षीय जनरल हाई स्कूल/एडवांस हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

13. श्रीलंका

(क) श्रीलंका सरकार के परीक्षा विभाग द्वारा संचालित जी.ई.सी. परीक्षा के सामान्य स्तर पर पाँच विषयों और अग्रिम स्तर पर दो विषयों में उत्तीर्ण अथवा —वही—

(ख) सामान्य स्तर पर चार विषयों और अग्रिम स्तर पर तीन विषयों में उत्तीर्ण।

14. डेनमार्क

कोपेनहेगन इन्टरनेशनल स्कूल, डेनमार्क का 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

15. पूर्वी अफ्रीकी देश

(क) चार मुख्य विषयों, तीन मुख्य विषयों और एक सहायक विषय, दो मुख्य विषयों और दो सहायक विषयों में उक्त में से किसी एक विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण होने वाले पूर्वी अफ्रीका एग्जामिनेशन काउंसिल के सहयोग के स्थानीय परीक्षा सिंडिकेट, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एजुकेशन एक्जामिनेशन का पूर्वी अफ्रीकन एडवांस सर्टिफिकेट। —वही—

(ख) यूगान्डा नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यूगान्डा द्वारा संचालित यूगान्डा एडवांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन एग्जामिनेशन —वही—

16. मिस्त्र अरब गणराज्य

(क) शिक्षा मंत्रालय, मिस्र अरब गणराज्य द्वारा प्रदान किया गया सेकंडरी जनरल एजूकेशन सर्टिफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) —वही—

(ख) काहिरा अमेरिकन कॉलेज काहिरा, मिस्र का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

17. ईथोपिया

शिक्षा और ललित कला मंत्रालय, ईथोपिया द्वारा प्रदान किया गया ईथोपियन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) —वही—

18. फिजी

(क) शिक्षा मंत्रालय, सुवा, फिजी द्वारा प्रदान किया गया फिजी सेवन्थ फार्म सर्टिफिकेट —वही—

(ख) फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पेसिफिक, फिजी —वही—

(ग) शिक्षा मंत्रालय, फिजी का 12 वर्षीय सर्टिफिकेट ऑफ अटेनमेंट/फिजी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट

19. फ्रांस

न्यू फ्रैंच बैकालॉरिएट एग्जामिनेशन —वही—

20. जर्मन गणराज्य (एस.आर.जी.)

(क) इंटरनेशन स्कूल (International Schule) हैमबर्ग का ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

(ख) बोन अमेरिकन हाई स्कूल, बोन का 12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

(ग) पश्चिमी जर्मनी (एफ.आर.जी.) की एबिटर परीक्षा —वही—

(घ) ब्लैक फोरेस्ट ऐकेडमी, पश्चिमी जर्मनी में संचालित हाई स्कूल जनरल डिप्लोमा —वही—
(सास्कतचिवान शिक्षा विभाग, कनाडा द्वारा जारी अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट)

(ड) फ्रैंकफ़र्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑबेरुरसेल फ्रैंकफ़र्ट, पश्चिमी जर्मनी का हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

21. गाज़ा पट्टी

जनरल सेकैन्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट, गाजा पट्टी। —वही—

22. यूनान (ग्रीस)

अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल का 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा, एथेन्स, यूनान (ग्रीस) –वही–

23. हांगकांग

ब्रिटिश एग्जामिनिंग अथारिटी के जी.सी.ई.'ओ.' स्तर/'ए' स्तर परीक्षाओं के अनुसार उसके समकक्ष हांगकांग एग्जामिनेशन अथारिटी का हांगकांग सर्टिफिकेट ऑफ एज्यूकेशन एण्ड हायर/एडवांस लेवल एग्जामिनेशन –वही–

24. इंडोनेशिया

(क) बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्यूकेशन, इंडियन स्कूल इण्डोनेशिया द्वारा संचालित 12 वर्षीय हायर सेकेन्डरी एग्जामिनेशन (गाँधी मेमोरियल स्कूल में दिया जाने वाला पाठ्यक्रम) –वही–

(ख) जकार्ता इंटरनेशन स्कूल, जकार्ता, इंडोनेशिया का सेकेन्डरी स्कूल डिप्लोमा (कॉलेज प्रेपरेटरी प्रोग्राम) –वही–

(ग) एस.एम.ए./एस.एल.टी.ए. (सीनियर हाई स्कूल/सेकंडरी स्कूल एडवांस स्टेज) परीक्षा, इंडोनेशिया –वही–

25. ईरान

शिक्षा मंत्रालय, ईरान द्वारा प्रदान किया गया सैकेंडरी स्कूल का 4 वर्षीय डिप्लोमा (स्कूल शिक्षा की नई प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तावित 12 वर्षीय पाठ्यक्रम) –वही–

26. ईराक

शिक्षा मंत्रालय, ईराक गणराज्य द्वारा संचालित सेकैन्डरी स्कूलों के लिए बैकलॉरिएट एग्जामिनेशन–वही– (12 वर्षीय पाठ्यक्रम)

27. आयरलैण्ड

हायर/आनर्स स्तर परीक्षा उत्तीर्ण सहित आयरलैण्ड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (शिक्षा विभाग) –वही–

28. इटली

(क) बेनिवेन्टो (इटली) में प्रॉविन्सियल एड्यूकेशन अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया डिप्लोमा दि मेटुरिटा टेक्निका फेमिनिले (फेमिने टेक्निकल स्कूल लीविंग प्रमाणपत्र) डिप्लोमा –वही–

(ख) अमेरिकन ओरवसीज स्कूल, रोम का 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा –वही–

(ग) मैरी माउण्ट इंटरनेशनल स्कूल, रोम का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा –वही–

29. जॉर्डन

(क) शिक्षा मंत्रालय, जॉर्डन द्वारा संचालित जनरल सेकैन्डरी एड्यूकेशन सर्टिफिकेट (तावजिही) (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) एग्जामिनेशन —वही—

(ख) शिक्षा मंत्रालय, जॉर्डन द्वारा प्रदान किया गया जनरल वोकेश्नल सेकेन्डरी एड्यूकेशन सर्टिफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) —वही—

(ग) हाई स्कूल डिप्लोमा ऑफ अमेरिकन कम्यूनिटी स्कूल, अमन, जॉर्डन —वही—

30. जापान

(क) सैन्ट मैरी इंटरनेशनल स्कूल, टोक्यो का 12 वर्षीय डिप्लोमा —वही—

(ख) सेक्रेड हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा (सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन), टोक्यो। —वही—

(ग) सीसेन इंटरनेशनल स्कूल का हाई स्कूल डिप्लोमा, टोक्यो —वही—

(घ) मेरिस्ट ब्रदर्स इंटरनेशनल स्कूल, कोबे, जापान का 12 वर्षीय सीनियर हाई स्कूल डिप्लोमा। —वही—

31. केन्या

(क) केन्या नेश्नल एग्ज़ामिनेशन काउन्सिल, केन्या द्वारा संचालित केन्या एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एड्यूकेशन एग्जामिनेशन —वही—

(ग) ए,बी,सी, ग्रेड में 5 (पाँच) पासेस सहित केन्या नेशनल एग्ज़ामिनेशन काउंसिल का 8+4 केन्या सर्टिफिकेट ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन —वही—

32. कोरिया

(क) सिओल फॉरेन स्कूल, सिओल का 12 वर्षीय कॉलेज प्रिपेरेटरी डिप्लोमा, —वही—

(ख) पुसन अमेरिकन स्कूल, पुसन, साउथ कोरिया का 12 वर्षीय हाई स्कूल आनर्स डिप्लोमा, ञ—वही—

33. कुवैत

(क) शिक्षा मंत्रालय, कुवैत द्वारा संचालित (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) जनरल सेकैन्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन —वही—

34. लेबनान

(क) अमेरिकन कम्युनिटी स्कूल, बेरुत का 12 वर्षीय डिप्लोमा —वही—

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, लेबनान का बेकालॉरियट डिप्लोमा (अंतिम भाग ।।) —वही—

35. लीबिया अरब गणराज्य

शिक्षा मंत्रालय, लीबिया अरब गणराज्य द्वारा प्रदान किया गया जनरल सेकेन्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट —वही—

36. मलेशिया

ञ(क) मलेशिया विश्वविद्यालय और सिंगापुर विश्वविद्यालय के सहयोग से केम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिंडीकेट विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (13 वर्षीय पाठ्यक्रम) —वही—

(ख) शिक्षा विभाग, मलेशिया द्वारा संचालित सिजिल टिंग्गी परसेकोलेहन एग्जामिनेशन —वही—

(ग) इंटरनेशनल स्कूल कुआलालाम्पुर, मलेशिया का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

(घ) कैम्ब्रिज स्थानीय परीक्षा सिंडिकेट विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लोकल एग्ज़ामिनेशन सिंडिकेट)/मलेशिया परीक्षा काउंसिल, मलेशिया द्वारा संचालित अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने सहित सिजिल टिंग्गी परसेकोलेहन मलेशिया (एस.टी.पी.एम.) एग्जामिनेशन —वही—

(ड) मैट्रिकुलेशन साइंस कोर्स नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया —वही—

37. मोरोक्को

हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा, रैबट – अमेरिकन स्कूल मोरोक्को —वही—

38. नेपाल

(क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डू, का इंटर आर्ट, साइंस एण्ड कामर्स —वही—

(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र (मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और व्यवसाय प्रशासन, वाणिज्य तथा लोक प्रशासन संस्थानों में प्रस्तावित पाठ्यक्रम) और कृषि में प्रमाण–पत्र।

39. नीदरलैण्ड्स

भौतिक, रसायन, गणित/ जीव विज्ञान में न्यूनतम दो विज्ञान स्ट्रीम क्रेडिटों सहित —वही—

हेग, नीदरलैण्ड्स का अमेरिकन विद्यालय का हाई स्कूल डिप्लोमा

40. न्यूजीलैण्ड

न्यूजीलैण्ड विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा —वही—

41. नाइजीरिया

(क) इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, अहमेडू बेलो यूनिवर्सिटी, जारिया, नाइजीरिया की अंतरिम संयुक्त मैट्रिकुलेशन बोर्ड परीक्षा —वही—

(ख) वेस्ट अफ्रीकी परीक्षा काउंसिल, नाइजीरिया के 5 'ओ' स्तर की उत्तीर्ण परीक्षा से पहले पास की गई 2 जी.सी.ई. 'ए' स्तर की उत्तीर्ण परीक्षा —वही—

(ग) हिलक्रेस्ट हाई स्कूल, जॉस, नाइजीरिया का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा, —वही—

(घ) सोकोटो विश्वविद्यालय, सोकोटो, नाइजीरिया का 2 वर्षीय प्री—डिग्री प्रोग्राम, —वही—

42. अमन

शिक्षा मंत्रालय, अमन का 12 वर्षीय जनरल सेकंन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट —वही—

43. पाकिस्तान

(क) फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एण्ड सेकेन्डरी एड्यूकेशन का हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, इस्लामाबाद (पाकिस्तान) —वही—

(ख) बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एण्ड सेकेन्डरी एड्यूकेशन की हायर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा, भाग II (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) हैदराबाद —वही—

(ग) इंटरनेशनल स्कूल, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का बारह वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

(घ) कराची अमेरिकन स्कूल कराची, (पाकिस्तान) का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

44. पनामा

ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ बालबोआ हाई स्कूल (रक्षा विभाग (यू.एस.ए.) डिपेन्डेन्ट्स स्कूल) पनामा—जो व्यक्ति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होता है, उसको हाई स्कूल के विज्ञान विषयों में 2 युनिटों के न्यूनतम क्रेडिटों को प्राप्त करना होगा। —वही—

45. पेरु

अमेरिकन स्कूल, लीमा, पेरू का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा (फ्रैंकलिन डिफेन्स रूसवोल्ट) —वही—

46. फिलीपीन्स

इंटरनेशनल स्कूल, मनीला, फिलिपीन्स का 12 वर्षीय ग्रेजुएट हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

47. कतर

शिक्षा और युवक कल्याण मंत्रालय, कतर राज्य सरकार द्वारा संचालित जनरल सेकेन्डरी एजुकेशन स्टेज सर्टिफिकेट परीक्षा	–वही–

48. सऊदी अरब

शिक्षा मंत्रालय, जद्दाह, सऊदी अरब के एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित 12 वर्षीय जनरल सेकेन्डरी एजुकेशन सर्टिफिकेट	–वही–

49. सिंगापुर

(क) ब्रिटिश परीक्षा प्राधिकरण के जी.सी.ई. परीक्षा के अनुसार उसके समकक्ष सिंगापुर कैम्ब्रिज जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन की 'ओ' और 'ए' स्तर की परीक्षाएं।	–वही–
(ख) सिंगापुर अमेरिकन स्कूल, सिंगापुर का डिप्लोमा (हाई स्कूल)	–वही–

50. सूडान

(क) सूडान परीक्षा समिति, सूडान द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (12 वर्षीय पाठ्यक्रम)	–वही–
(ख) सूडान परीक्षा समिति, शिक्षा मंत्रालय, सूडान का 12 वर्षीय सेकैन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट	–वही–
(ग) सूडान परीक्षा समिति, शिक्षा एवं मार्गदर्शन (गाइडेंस) मंत्रालय सूडान का कॉमर्शियल तकनीकी सेकैन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	–वही–
(घ) इजिप्शन एज्यूकेशन मिशन, सूडान का जनरल सेकैन्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट	–वही–

51. स्वीडन

ऑस्टर–माल्मस और नोरा रीयल जिमनेसियमस का प्राकृतिक विज्ञान (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कोर्स	–वही–

52. स्वीटजरलैण्ड

(क) इंटरनेशनल बैकालॉरिएट कार्यालय जेनेवा (स्वीटजरलैण्ड) द्वारा संचालित इंटरनेशनल बैकालॉरिएट डिप्लोमा परीक्षा	–वही–
(ख) इंटरनेशनल स्कूल, जेनेवा का 12 वर्षीय सीनियर क्लास (हाई स्कूल) डिप्लोमा	–वही–
(ग) मेटुरा कमीशन स्वीटजरलैण्ड द्वारा प्रदान किया गया मेटुरा प्रमाणपत्र	–वही–
(घ) इंटरनेशनल स्कूल, बर्ने, स्वीटजरलैण्ड का हाई स्कूल एकेडेमिक डिप्लोमा	–वही–

53. सीरिया

शिक्षा मंत्रालय, सीरियन अरब गणराज्य का जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेन्डरी एड्यूकेशन —वही—

54. तन्जानिया

राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल फार्म VI परीक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, तन्जानिया के एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ सेकैन्डरी एजूकेशन के रूप में पुनर्निर्मित) —वही—

55. टर्की (तुर्की)

अंकारा अमेरिकन हाई स्कूल, अंकारा, टर्की (तुर्की) का 12 वर्षीय ग्रेजुएशन डिप्लोमा —वही—

56. थाईलैण्ड

(क) शिक्षा मंत्रालय, थाईलैण्ड का हायर सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन —वही—

(ख) शिक्षा मंत्रालय, थाईलैण्ड द्वारा संचालित अपर सेकेन्डरी एजुकेन्शन कोंस का मेथ्योम VIII अंतिम परीक्षा, सेकेन्डरी एजुकेशन कोर्स की अंतिम परीक्षा मेथ्योम सुकसा 5 प्री—युनिवर्सिटी की अंतिम परीक्षा (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) —वही—

(ग) इंटरनेशनल स्कूल, बैंकाक (थाईलैण्ड)। 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा, —वही—

(घ) रूआम रूडी इंटरनेशनल स्कूल, बैंकाक का ग्रेड 12 परीक्षा, —वही—

(ड) ऐडवेनटिस्ट इंग्लिश स्कूल बैग्कॉक (थाईलैण्ड) द्वारा प्रदान किया गया 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा —वही—

57. संयुक्त अरब अमीरात

शिक्षा मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदान किया जनरल सेकेन्डरी एजूकेशन सर्टिफिकेट —वही—

58. यू.एस.ए.

(क) यू.एस.ए. (प्रत्यापित विद्यालय) का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा, —वही—

(ख) नेबरास्का विश्वविद्यरलय, (सतत् अध्ययन प्रभाग), यू.एस.ए. का इनडिपेन्डेन्ट स्टडी हाई स्कूल डिप्लोमा। साइंस विषय लेकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रत्यापित संस्थाओं में ग्रेड 11 और 12 में विज्ञान/गणित विषयों में एक विषय का कम से कम 2 यूनिट के क्रेडिट का प्रमाणपत्र देना होगा। —वही—

59. वेनेजुएला

कोलेजिओ इंटरनेशनल डी केराकस (वेनेजुएला) का हाई स्कूल डिप्लोमा।	–वही–

60. वियतनाम (समाजवादी गणराज्य)

शिक्षा मंत्रालय, वियतनाम समाजवादी गणराज्य द्वारा संचालित हाई स्कूल अंतिम परीक्षा (12 वर्षीय कार्यक्रम)	–वही–

61. वेस्टइंडीज (केरेबियन द्वीप समूह)

मान्यताप्राप्त ब्रिटिश परीक्षा निकायों से अंग्रेजी और 2 जी.सी.ई. 'ए' स्तर की उत्तीर्ण परीक्षा सहित पांच विषयों में प्रवीणता ग्रेड I अथवा II में सी एक्स सी (कैरबियन एग्जामिनेशन काउंसिल) सर्टिफिकेट	–वही–

62. यमन अरब गणराज्य

शिक्षा मंत्रालय, यमन अरब गणराज्य द्वारा प्रदान किया गया सेकैन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट	–वही–

63. यमन (लोक गणराज्य)

शिक्षा मंत्रालय, यमन लोक लोकतंत्रीय गणराज्य द्वारा संचालित जनरल सेकैन्डरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन	–वही–

64. जैरे (गणराज्य)

(क)	अमेरिकन विद्यालय, किंशासा द्वारा प्रदान किया गया 12 वर्षीय स्कूल डिप्लोमा	–वही–
(ख)	प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, जैरे गणराज्य द्वारा प्रदान किया गया DEtat DEtudes - Secondaries Du Cycle Long डिप्लोमा	–वही–

65. विविध

(क)	वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रदान किया 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	–वही–
(ख)	कोडेकैनाल इन्टरनेशनल स्कूल, कोडेकैनाल (तमिलनाडु) का 12 वर्षीय हाई स्कूल डिप्लोमा	–वही–
(ग)	अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली का 12 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमा	–वही–

संलग्नक–I

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का आरूप

बही संख्या (बुक नंबर).....क्रम संख्या.....प्रवेश संख्या.....

1. विद्यार्थी का नाम .....
2. पिता/अभिभावक का नाम.....
3. राष्ट्रीयता .....
4. क्या अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है.....
5. विद्यालय में प्रथम प्रवेश की तारीख एवं कक्षा.....
6. प्रवेश रजिस्टर के अनुसार जन्म तिथि (ईसवी सन् में) :

   (अंकों में).....शब्दों में.....
7. वह कक्षा, जिसमें विद्यार्थी ने अंतिम अध्ययन किया है : (अंकों में).....शब्दों में.....
8. विद्यालय/बोर्ड की अंतिम वार्षिक परीक्षा और परिणाम.....
9. क्या अनुत्तीर्ण हो गया/गई, यदि हाँ तो उसी कक्षा में एक बार/दो बार.....
10. अध्ययन किए गए विषय (1) ..... (2) .....

    (3) ..... (4) ..... (5) .....
11. क्या उच्च कक्षा में प्रोन्नति के लिए योग्य हैं : .....

    यदि हाँ तो किस कक्षा में (अंकों में).....(शब्दों में).....
12. किस माह तक स्कूल को देय बकाया राशिका विद्यार्थी ने भुगतान किया है।.....
13. शुल्क में कोई रियायत प्राप्त की है, यदि हाँ, तो वह रियायत किस प्रकार की है :.....
14. कुल कार्य दिवसों की संख्या .....
15. कुल उपस्थित कार्य दिवसों की संख्या .....
16. क्या एन.सी.सी. कैडेट/स्काउट/गर्ल गाइड है (ब्यौरा दिया जाए) .....

17. विद्यार्थी ने किन–किन खेलों अथवा सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों में भाग लिया (उसमें प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख करें) .....

18. सामान्य आचरण .....

19. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की तारीख .....

20. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख .....

21. विद्यालय छोड़ने के कारण .....

22. कोई अन्य अभ्युक्तियाँ .....

कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर　　जाँचकर्ता (पूरा नाम और पदनाम लिखें)　　प्राचार्य
(मोहर सहित)

***** स्थानांतरण प्रमाणपत्र केवल नियमित प्राचार्य/उपप्रचार्य के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए और इस पर ऐसे अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए जो राज्य/संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा उपनिदेशक/शिक्षा अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो। यदि कोई विद्यार्थी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध दूसरे विद्यालय में अंतरण चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी के पिछले विद्यालय के स्थानांरण प्रमाणपत्र भारत में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त अथवा उपनिदेशक, नवोदय विद्यालय समिति अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय स्थित बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और भारत से बाहर स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध विद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर प्रथम सचिव/अताशे/सांस्कृतिक अताशे या उसके समकक्ष भारतीय दूतावास/उच्च आयोग में कार्यरत अधिकारी के, प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र के बिना विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

---

* यह नियम परीक्षा समिति की 7-5-99 की बैठक में संशोधित किया गया और शासी निकाय द्वारा 13-5-99 की बैठक में अनुमोदित किया गया।

संलग्नक–II

शुल्क

परीक्षाओं, प्रमाणपत्रो, प्रलेखों की दूसरी प्रतियों आदि के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नलिखित होगा। तथापि, बोर्ड निर्धारित शुल्क का किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना परिशोधन कर सकता है :

		नियमित				प्राइवेट			
		XII		X		XII		X	
		अ.भा.	दिल्ली	अ.भा.	दिल्ली	अ.भा.	दिल्ली	अ.भा.	दिल्ली
1.	प्रत्येक परीक्षार्थी से शुल्क (भारत में)	300	200	300	200	500	320	450	320
2.	भारत में एक पूरक विषय के लिए शुल्क	150	100	150	100	200	110	200	110
3.	भारत में दो पूरक विषयों के लिए शुल्क	—	—	300	200	—	—	400	220
4.	एक अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क	150	100	150	100	200	110	200	110
5.	भारत में एक सुधार विषय के लिए शुल्क	150	100	150	100	200	110	200	110
6.	भारत में दो या अधिक सुधार विषयों के लिए शुल्क	300	200	300	200	500	320	450	320
7.	विदेश में प्रत्येक परीक्षार्थी से शुल्क	2000	—	2000	—	2000	—	2000	—
8.	विदेश में एक पूरक विषय के लिए शुल्क	750	—	750	—	750	—	750	—
9.	विदेश में दो पूरक विषयों के लिए शुल्क	—	—	2000	—	—	—	2000	—
10.	विदेश में परीक्षार्थी से एक अतिरिक्त/सुधार विषय के लिए शुल्क	750	—	750	—	750	—	750	—
11.	विदेशी परीक्षार्थी से दो या अधिक सुधार विषयों के लिए शुल्क	2000	—	2000	—	2000	—	2000	—
12.	प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अतिरिक्त शुल्क	25	20	—	—	25	20	—	—

अ.भा.–अखिल भारतीय योजना
दिल्ली–दिल्ली योजना

13. विलंब शुल्क (सभी अभ्यार्थियों के लिए)

(i) अंतिम तिथि से प्रथम 10 दिन	रू. 100/- प्रति परीक्षार्थी
(ii) अगले 15 दिन	रू. 200/- प्रति परीक्षार्थी
(ii) अगले 25 दिन	रू. 300/- प्रति परीक्षार्थी

14. लेखन लिपिक की सेवा के लिए प्रभार — रू. 100/- प्रति सत्र

15. लेखक — रू. 100/- प्रति परीक्षार्थी

अन्य शुल्क (सभी चार परीक्षाओं के लिए)

1.	किसी अभ्यर्थी के प्रत्येक विषय के परिणाम संबंधी अंकों की संवीक्षा और पुनः जांच करने का शुल्क	100 रू.
2.	प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति का शुल्क	20 रू.
3.	अंको को बताने का शुल्क	50 रू.
4.	पूरक परीक्षा/सुधार/अतिरिक्त विषय के (दो विषयों तक) अंकों को बताने का शुल्क	50 रू.
5.	प्रमाण पत्र/अंकपत्र की दूसरी प्रति का शुल्क	50 रू.
6.	प्रवास प्रमाणपत्र अथवा उसकी दूसरी प्रति का शुल्क	50 रू.
7.	जन्म तिथि प्रमाणपत्र का शुल्क	50 रू.
8.	परिणाम कार्ड की दूसरी प्रति का शुल्क	20 रू.
9.	परीक्षा पास करने संबंधी अंनतिम प्रमाणपत्र का शुल्क	50 रू.
10.	प्रमाण पत्र/अंकपत्र में दोष सुधार के लिए (जन्म तिथि, नाम आदि) शुल्क	500 रू.
11.	तुरन्त प्राप्ति का शुल्क अगर 48 घंट में चाहिए	50 रू.
12.	पंजीकरण कार्ड की दूसरी प्रति का शुल्क	50 रू.